



प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 42] No. 42]

नई दिल्ली, अक्तूबर 22—अक्तूबर 28, 2017, शनिवार/आश्विन 30—कार्तिक 6, 1939

NEW DELIII, OCTOBER 22—OCTOBER 28, 2017, SATURDAY/ASVINA 30—KARTIKA 6, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II-Section 3-Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 349.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सशस्त्र सीमा बल (आर्डनेंस सेवा) समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:--

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र सीमा बल (आर्डनेंस सेवा) समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है। 1.
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- सशस्त्र सीमा बल (आर्डनेंस सेवा) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

inuncdiately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by Deputation shall be not exceeding Fifty Six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
1. Group -'B' Departmental Promotion Committee (for considering romotion consisting of :-	Consultation with Union Public Service Commission no necessary.
(1) Additional or Joint Development Commissioner (Administration) - Chairman	
(2) Deputy Director (Handicraft) - Member	
(3) Under Secretary or equivalent officer as nominated by the Ministry of Textiles, Department of Handicrafts -Member	
2. Group -'B' Departmental Confirmation Committee (for considerin confirmation) consisting of:—	g
(1) Additional or Joint Development Commissioner (Administration) - Chairman	ata _{as}
(2) Deputy Director (Handicraft) - Member	E 4
(3) Under Secretary or equivalent officer as nominated by the Ministry of Textiles, Department of Handicrafts -Member	

[F. No. A-50011/19/2015-(Admn.)]
ARUN KUMAR YADAV, Director (Handicraft)

Explanatory Memorandum: It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to these rules.

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2017

सा.का.िन. 357.— राष्ट्रपित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, कृषि विज्ञानी और फार्म अधीक्षक, समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2015 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोग किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों में सस्य विज्ञानी और फार्म अधीक्षक के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण नंस्थान, सस्य विज्ञानी और फार्म अधीक्षक, समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

- लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपायद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि .—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु मीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में बिनिर्दिष्ट हैं।
- 5. निरर्हता.—वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पितं या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपवंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई वात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपवंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद की संख्या	affarm	2 30 3	
	See East Section 1999	वतन माट्रक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(2)	(3)	(4)	(5)
1* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा	समूह 'क', राजपत्रित,	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 11 (67,700-2,08,700 रुपए)	चयन
	कार्यभार के आधार पर	(2) (3) 1 (2017) साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा	(2) (3) (4) 1* (2017) साधारण केन्द्रीय सेवा, वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 11 समूह 'क', राजपत्रित, (67,700-2,08,700 रुपए) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	वाले व्यक्तियों के	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा य प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
नागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)



प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रीन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा (11)

प्रोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (44,900-1,42,400 रु.) में ऐसे फार्म अधीक्षक जिन्होंने उस स्तर में 7 वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या गंस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा सहित कृषि विज्ञान में बैचलर डिग्री या कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री हो और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों या कृषि विज्ञान केंद्र से कृषि संबंधी समस्याओं और यांत्रिक खेती के क्षेत्र में 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या परिपदों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी -(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर -10 (56,100-1,77,500 रु.) या समतुल्य वाले पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो ; या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर -8 (47,600-1,51,100 रु.) या समतुल्य वाले पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 6 वर्ष नियमित सेवा की हो ; या
- (iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर -7 (44,900-1,42,400 रु.) या समतुल्य वाले पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 7 वर्ष नियमित सेवा की हो ; और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो ; अर्थात् :-

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री
- केंद्रीय या राज्य सरकार के विभागों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या परिषदों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों से कृषि विज्ञानी समस्याओं से संबंधित 3 वर्ष का व्यावहारिक या अनुसंधान अनुभव।

वांछनीय:

यंत्रीकृत खेती में 2 वर्ष का अनुभव

टिप्पण 1: पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त ब्यक्ति प्रोन्तिति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं टिप्पण 2: होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।



जाएगा (13) के लिए) पद पर नियुक्ति करते समय प्रत्येक
(13) के लिए) पद पर नियुक्ति करते समय प्रत्येव
अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्थ करना आवश्यक है।
ादस्य
ादस्य

(2)	(3)	(4)	7-1
2* (2017)	- ' '	(4)	(5)
- (2017)	साधारण केन्द्रीय सेवा,	वतन मैट्रिक्स में स्तर - 7	चयन
F 4	समूह 'क', राजपत्रित.	(44,900-1,42,400	
*कार्यभार के आधार पर			
	3	1	
	(2) 2* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	2* (2017) साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, कार्यभार के आधार पर अननुसचित्रीय	2* (2017) साधारण केन्द्रीय सेवा, वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 7 समूह 'क', राजपत्रित, क्यार्थभार के आधार पर (44,900-1,42,400 *कार्यभार के आधार पर अननुसचित्रीय

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति
				द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है

(11)

प्रोन्नतिः

वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25,500-81,100 रु.) में ऐसे कृषि सहायक जिन्होंने उस स्तर में 15 वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों या कृषि विज्ञान केंद्र से कृषि संबंधी समस्याओं और यंत्रीकृत खेती के क्षेत्र में 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पित्र्लिक सेक्टर के उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्ध सरकारी या स्वायत्त्व या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी -



- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या
 - (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर -6 (35,400-1,12,400/- रु.) या समतुल्य वाले पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 5 वर्ष नियमित सेवा की हो ; और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो ;

आवश्यक:

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्विवद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री
- (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या पिल्लिक सेक्टर के उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या परिपदों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों से कृषि विज्ञानी समस्याओं से संबंधित 2 वर्ष का व्यावहारिक या अनुसंधान अनुभव।

वांछनीय:

यंत्रीकृत खेती में 1 वर्ष का अनुभव

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित के संबंध में विचार करने के लिए) निम्निलिखित होंगे:— 1. संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग),	जिसमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - अध्य	ধ
 निदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग – सदस्य 	4
 अपर आयुक्त (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग सदक्ष्मारिता और किसान कल्याण विभाग 	स्य
4. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - सदस्	प

[फा. सं. 13-1/2016-एम एंड टी (प्रशा.)(भाग-5)]

अश्विनी कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

New Delhi, the 5th October, 2017

- G.S.R. 357.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institutes. Agronomist and Farm Superintendent, Group 'A' and Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Agronomist and Farm Superintendent in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, in the Farm Machinery Training and Testing Institutes, namely:-
- 1. Short fitle and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Farm Machinery Training and Testing Institutes, Agronomist and Farm Superintendent, Group 'A' and Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.
- 4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- Disqualification.—No person-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes. Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

		CONDUCED		
Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non- selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Agronomist	01* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non- Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700- 208700)	Selection

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation, absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	
Not applicable	Not applicable	Not applicable		(10)
	1.0. applicable	tvot applicable	Two years	By promotion failing which by deputation (including short -term contract).





In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made

(11)

Promotion:

Farm Superintendent in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix with seven years regular service in the level and possessing Master's degree in Agriculture or Bachelor's degree in Agriculture with post graduate degree or diploma in Agronomy from a recognised University or Institute and have successfully completed four weeks of training in the field of agronomical problems and mechanised farming from Indian Council for Agricultural Research or State Agricultural Universities or Krishi Vigyan Kendra.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short- term contract):

Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or Agricultural Universities or Recognised Research Institutions or Councils or Semi-Government or autonomous or statutory organisations:-

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
 - (ii) with five years service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or
 - (iii) with six years service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or
 - (iv) with seven years service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely :-

Essential:

- (i) Master's degree in Agronomy from a recognised University or Institute;
- (ii) three year's practical or research experience in agronomical problems from Central or State Government departments or Union territory administrations or Public Sector Undertakings or Agricultural Universities or recognised research institutions or Councils or semi-Government or autonomous or statutory organisations.

Desirable:

Two years' experience in mechanised farming.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall be not eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily, not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission to be consulted in making recruitment (13)	
(12)		
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for appointment to	
(1) Chairman/ Member, Union Public Service Commission : Chairman	the post on each occasion.	



(2)	Additional Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	:	Member	[FACT II—SEC. 3(1)]
(3)	Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	į	Member	
(4)	Director/Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	:	Member	

2. Farm	2* (2017)	(3) .	(4)	(5)	(6)
Superintendent	* Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non- Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900- 142400)	Selection	Not applicable

Not 1' 11	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion failing which by deputation (including short term contract)

(11)

Promotion:

Agricultural Assistant in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix with fifteen years regular service in the level and have successfully completed four weeks of training in agronomical problems and mechanised farming from Indian Council for Agricultural Research or State Agricultural Universities or Krishi Vigyan Kendra.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short- term contract):

Officers under the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertakings or Agricultural Universities or recognised research institutions or semi-Government or autonomous or statutory organisations:-

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
 - (ii) with five years service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience:

Essential:

- (i) Master's degree in Agronomy from a recognised University or Institute;
- (ii) two years practical or research experience in agronomical problems in Central Government or State Government departments or Union territory administrations or Public Sector Undertakings or Agricultural Universities or recognised research institutions or Councils or semi-Government or autonomous or statutory organizations.



Desirable:

One year experience in mechanised farming.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall be not eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily, not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

	(12)		(13)
	p 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promoti	on) consisting	Consultation with the Union Public Service
of:- (1)	Joint Secretary, (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	- Chairman	Commission is not necessary.
(2)	Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers	- Member	
(3)	Welfare Additional Commissioner (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers	- Member	
(4)	Welfare Director, Farm Machinery Training and Testing Institute	- Member	

[F. No. 13-1/2016-M&T (Admn.) (Pt. V)]
ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 358.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर (धेणी-1 तथा थेणी-2 पद) भर्ती नियम, 1964 को, जहां तक इनका संबंध ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, लेखा-सह मंडार अधिकारी और प्रशासनिक-सह-क्रय और विक्रय अधिकारी के पदों से है, को अधिकान्त करते हुए तथा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (कार्यालय अधीक्षक) भर्ती नियम, 1981 को उन वातों के सिवाए अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोग किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, लेखा-सह-भंडार अधिकारी, प्रशासनिक-सह-क्रय और विक्रय अधिकारी तथा कार्यालय अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धित का नियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, लेखा-सह-भंडार अधिकारी, प्रशासनिक-सह-क्रय और विक्रय अधिकारी तथा कार्यालय अधीक्षक (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- अनुप्रयोग.—ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (1) में निर्दिग्ट पदों पर लागू होंगे।



The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 05]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 3, 2018/पौप 13, 1939

No. 05]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 3, 2018/PAUSHA 13, 1939

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 6 (अ).— राप्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और

- कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, फार्म मशीनरी, प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, समूह 'क' और समूह 'ख' (राजपत्रित) तकनीकी पद भर्ती नियम, 2015; और
- 2. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, ज्येष्ठ उपकरण इंजीनियर (समूह 'क' तकनीकी पद) भर्ती नियम, 2016, को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में समूह 'क' और समूह 'ख' (राजपत्रित) तकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, समूह 'क' और समूह 'ख' (राजपत्रित) तकनीकी पद भर्ती नियम, 2017 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रदन्त होंगे।
- 2. लागू होना : ये नियम इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

- 12)
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि: उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु मीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य वातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. निरर्हताः वह व्यक्ति-
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्तिः जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्तिः इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय मरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व मैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपवंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरणं	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन या अचयन पद	मीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु मीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. निदेशक *कृपि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (मुख्यालय) में तैनात होने पर पदधारी को उप आयुक्त (एम एंड टी) के पद पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	6* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में लेवल -12 (78800- 209200 रुपए)	चयन	लागू नहीं होना

व्यक्तियों के लिए अपेक्षित	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		भर्ती की पद्धित; भर्ती मीधे होगी या प्रोन्निति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धिनयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्ष्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होना	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्तित द्वारा जिसके न हो सकते पर प्रतितियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है; (ii) 50 प्रतिशत पर प्रतितियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है



प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे	2	m 1110
श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन
जाएगा	सरचना	परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से
		परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
	The state of the s	
प्रोन्निति:-वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11 (67700-208700/-	समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर	संघ लोक मेवा आयोग
रु.) में ऐसे ज्येष्ठ कृषि इंजीनियर और ज्येष्ठ इंस्ट्रूमेंटेशन	विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:	मे परामर्श करना जब
इंजीनियर जिन्होंने उस लेवल में 5 वर्ष नियमित सेवा की	1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या	किसी अधिकारी की
हो और जिनके पास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या	सदस्य - अध्यक्ष	प्रतिनियुक्ति आवश्यक है उस समय (जिसके
राज्य कृषि विश्वविद्यालयों या किसी कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रैक्टरों सहित कृषि उपकरणों और मशीनों के ऑपरेशन	2. अपर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी	ह उस समय (।जसक अंतर्गत अल्पकालिक
या मरम्मत और रखरखाव या डिजाईन विकास, उत्पादन,	प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	संविदा भी है) पर
	विभाग – सदस्य	नियुक्त किया जा रहा
प्रशिक्षण और परीक्षण के क्षेत्र में 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।	3 संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी	हो।
विष्पण 1: संबंधित लेवल या पद में विहित अर्हत सेवा	प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	
वाले अधिकारियों द्वारा पूरा किए जाने की तारीख के	विभाग - सदस्य	
प्रतिनर्देश से प्रोन्नित के लिए पात्रता सूची तैयार की	V g a second	
जाएगी।	360	
टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में,		
जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है,		
प्रोत्निति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे	L An Angel	
ज्येप्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंत		
यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता		218
सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से		
या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और		
उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी		
अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली		
उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की	and the second second	4
अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	Carpet Carpet	
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)		
केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें या संघ राज्य क्षेत्र		
प्रशासनों या पश्चितक सेक्टर उपक्रमों या कृषि		
विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या	2	
परिपदों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी	*5. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	an c vi
संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी -	A A	
(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित	, a	
आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या		12 1
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में लेवल -11		
(67700-208700/- रु.) या ममतुल्य पदों में नियमित		
आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस लेवल में 5 वर्ष सेवा		1
की हो ; और		157
(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हनाएं और		
अनुभव हैं ; अर्थात :-		
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	The state of the s	
	a the store of	



आवश्यक:			
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान			
से कृषि इंजीनियरी या यांत्रिक इंजीनियरिंग में		9	
स्नातकोत्तर डिग्री ;			
(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य			
क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों			
या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या परिपदों या अर्ध			
सरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों से ट्रैक्टरों सहित			
कृषि उपकरणों और मशीनों के ऑपरेशन या मरम्मत और			
रखरखाव या डिजाईन विकास और परीक्षण के किसी भी			
क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव।			
टिप्पण - 1: पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी,			
जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर			
नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।			
इनी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के			
लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।			4
टिप्पण - 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत			
अल्पकालिक मंविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार	× .		
के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति में ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर			
प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणनया 4 वर्ष से अधिक			
नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत			
अल्पकालिक मंत्रिदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा			
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष मे			
अधिक नहीं होगी।			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2 ज्येष्ठ कृषि इंजीनियर ज्येष्ठ * कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (मुख्यालय) में तैनात होने पर पदधारी को सहायक आयुक्त (एम एंड टी के पद पर नामनिदिष्ट किया जाएगा।	13* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में लेवल -11 (67700-208700 रुपए)	चयन	40 वर्ष मे अधिक नहीं। (केंद्रीय मरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुमार मरकारी मेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा मकती है) टिप्पण:- आयु मीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों मे आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (त कि वह अंतिम तारीख जो अमम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, मिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश



	के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्वा जिले के पांगी
	उपखंड, अंदमान और
	निकोबार द्वीप या लक्षद्वीर के अभ्यर्थियों के लिए

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में कृषि इंजीनियरी या यांत्रिक इंजीनियरी में डिग्री; और	आयु ; नहीं शैक्षिक अर्हता; हां	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्तत व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	(10) (i) 40 प्रतिशन प्रोन्निति द्वारा; (ii) 60 प्रतिशन पर
(ii) किसी सरकारी या निजी सूचीवद्ध संगठन में शिक्षण अन्भव सहित ट्रैक्टरों, कृषि मशीनरी और संबद्ध उपकरणों के संचालन और रखरखाव का 5 वर्ष का अनुभव।			प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गन अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर मीधी द्वारा
या सरकारी या निजी सूचीबद्ध संगठन में स्वतंत्र रूप से फार्म मशीनरी और कृषि यंत्रों का परीक्षण तथा मूल्यांकन कार्य का 5 वर्ष का अनुभव।			
वांछनीय :	871 374 1 4	101 B	- 1
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री।			
टिप्पण 1: अर्हनाएं, अन्यथा मुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक मेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।			
टिप्पण 2: अतुभव संबंधी अर्हताएं, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब वयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

(11)	(12)	(40)
प्रोन्नति:-	विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्निति पर विचार करने के	(13)
रु.) में ऐसे परीक्षण इंजीतियर जिन्होंने उम लेवल में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो और वेतन मैटिक्स में	ालए) जिसम निम्नलिखित होंगे :	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

इंजीनियर जिन्होंने उस लेवल में 7 वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास भारतीय कृषि अनुमंधान परिपद या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों या कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रैक्टरों, कृषि मशीनरी और महबद्ध उपकरणों के ऑपरेशन, रखरखाव, मरम्मत, प्रशिक्षण और परीक्षण में 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण - 1 पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियक्ति पर नियक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके टिप्पण - 2 अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियक्ति द्वारा नियक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान मंस्थानों या परिषदों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी -

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में लेवल -10 (56700-177500/- रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो ; और
- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में लेवल -7 (44900-142400/- रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 7 वर्ष नियमित सेवा की हो ; और
- (ख) जिनके पास म्लंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हनाएं और अन्भव हैं।

टिप्पण - 1 पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं.

महकारिता और किसान कल्याण विभाग 3. संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 4. निदेशक या उप मचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान – सदस्य विभाग

विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:

1. अपर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग 2 संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 3 निदेशक या उप मचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान – सदस्य विभाग



प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त

व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए	*	
जान के पात्र नहीं होंगे।		
टिप्पण - 2 प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके	625 8	
अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत		
केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या	760 ₂₂ =	
विभाग में इस नियुक्ति में ठीक पहले धारित किमी		
अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत		
अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु		
सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को		
56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. ज्येष्ठ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर	01* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में लेवल -11 (67700-208700 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नित:- वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10 (56100-177500/- रु.) में ऐसे इंस्ट्र्मेंटेशन इंजीनियर जिन्होंने उस लेवल में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: परंतु मंशोधित नियम की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर पोपक थेणी पद अर्थात कृषि इंजीनियर (इंस्ट्र्मेंटेशन) का पद धारण करने वाले व्यक्तियों के संबंध में पात्रता मेवा वहीं रहेगी जैसा कि 2001 की पूर्ववर्ती अधिसूचित नियम में उपबंध है। टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के	समूह क विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्निलिखित होंगे: 1. अपर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 3. निदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य - सदस्य - सदस्य	संघ लोक मेवा आयोग मे परामर्श करना आवश्यक नहीं है।



आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों महित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोत्निति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. इंस्ट्र्मेंटेशन इंजीनियर	3* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुमचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में लेवल -10 (56100- 177500 रुपए)	चयन	35 वर्ष मे अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त क्रेन के लिए नियत की गई
				×	अंतिम तारीख होगी। (त कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्वा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मंस्थान से इलैक्ट्रोनिक्स इंजीनियरी या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरी में डिग्री; (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या मंघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पिट्टिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यना प्राप्त अनुमंधान मंस्थाओं या परिपदों या अर्ध सरकारी या स्वायत्न निकायों या कानूनी संगठनों से स्वतंत्र रूप से स्वचालित मापन और नियंत्रण करने, स्ट्रेन गेज चलाने, साउंड और वाईत्रेशन उपकरणों के चलाने	आयु : नहीं शैक्षणिक अर्हताएं: हां	(अ) सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्निति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) दोनों के न हो सकने पर मीधी भर्ती द्वारा; (ii) 50 प्रतिशत मीधी भर्नी द्वारा

अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।



को लगाने की निपुणता और रखरखाव का 3 वर्ष का अन्भव। (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या (理) मंस्थान से इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरी या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरी में डिग्री: (ii) किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सैक्टर के उपक्रमों या कृपि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिपदों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों से स्वतंत्र रूप से स्वचालित मापन और नियंत्रण करने, स्ट्रेन गेज चलाने, साउंड और वाईब्रेशन उपकरणों के चलाने आदि और इलैक्ट्रानिक्स और इलैक्ट्रिकल उपकरणों को लगाने की निपुणता और रखरखाव का एक वर्ष का अनुभव। वांछनीय: आई.सी. ईंजन के परीक्षण और निकास उत्सर्जन मापन प्रणाली उपकरण संचालन का एक वर्ष का टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा मुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संवंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर मंघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित

(11)	(12)	(10)
प्रोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स में लेवल- 7 (44900-142400/- रु.) में ऐसे कृषि इंजीनियर (इंस्ट्र्सेटेशन) जिन्होंने उस लेवल में 3 वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ट	समह स विकासिक के - 00 के 0	(13) प्रत्येक अवसर पर मंघ लोक मेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक हैं।



व्यक्तियों महित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्तति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषदें या अर्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी –

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में लेवल -8 (47600-151100/- रु.) या समतुल्य में उस लेवल में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष नियमित सेवा की हो; या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में लेवल -7 (44900-142400/- रु.) या समतुल्य में उस लेवल में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

टिप्पण - 1 पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण - 2 प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति में ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु मीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष में अधिक नहीं होगी)।

तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग – सदस्य

समूह ख विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे

- अपर मचित्र (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग अध्यक्ष
- मंयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकतीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण निभाग – सदस्य
- तिदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग – सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. परीक्षण इंजीनियर	1* (2017) *कार्यभार के आधार पर	साधारण केन्द्रीय सेवा, समृह 'क',	वेतन मैट्रिक्स में लेवल -10 (56100-177500	लागू नहीं होना	35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों वे



परिवर्तन किया जा सकता है।	राजपत्रित, (अननुसचित्रीय)	रुतत्तं)	अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती
	,		है) टिप्पण:- आयु मीमा अवधारित
			करने के लिए निर्णायक नारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की
			गई अंतिम तारीख होगी। (त कि वह अंतिम तारीख जो असम,
			मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड,
4			त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल
	(4) X (1)	2	प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चस्वा जिले के पांगी
	Ng a d		उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के
			लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: 1.किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कृपि इंजीनियरी में डिग्री; 2.किसी सरकारी संगठन या विश्वविद्यालय या निजी सूचीबद्ध संगठन से कृपि उपकरणों के परीक्षण या मूल्यांकन में 3 वर्ष का अनुभव। वांछनीय यंत्रीकृत खेती व्यवसाय का दो वर्ष का प्रयोगिक अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक तेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में विश्विल की जा सकती हैं जब चयन के किसी कम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि तक लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए एपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के भ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की भ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की भ्यावना नहीं है।	लागू नहीं होता	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण: पदधारी की प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किंही अन्य परिस्थितियों के अधीन अधीन एक वर्षया उममे अधिक अवधि के लिए वाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पिक्तिक संकटर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या परिपदें या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के ऐो अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी। (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्म में लेवल-8 (47600-151100/- रु.) में या समनुल्य पदों पर दो वर्ष नियमित सेवा की हो; (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्म में लेवल-7 (44900-142400/- रु.) में या समनुल्य पदों पर तीन वर्ष नियमित नेवा की हो; और (ख) जिनके पाम स्तंभ (7) के अधीन



×	लिए विहित शैक्षिक अर्हनाएं और अनुभव हैं।
---	---

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. अपर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष 2. मंयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 3. निदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. कृषि इंजीनियर (इंस्ट्रूमेंटेशन)	2* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में लेवल -7 (44900- 142400 रुपए)	चयन	30 वर्ष मे अधिक नहीं (केंद्रीय मरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी मेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा मकती है) टिप्पण:- आयु मीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों मे आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश,
					मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालेंड, त्रिपुरा, मिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्वा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डलैक्ट्रोनिक्स इंजीनियरी या इंस्ट्रूमेंटशन तकनीक में डिग्री; (ii) किसी सरकारी या निजी (स्चीबद्ध) संगठनों	आयु : नहीं शैक्षणिक अर्हनाएं : नहीं	मीधे भर्ती किए जाने बाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्तिति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक मंबिदा भी है);



से स्वचालित मापन और नियंत्रण करने, स्ट्रेन गेज			(ii) 5प्रतिशन 0 सीधी भर्ती
चलाने, साउंड और वाईब्रेशन उपकरणों के चलाने			द्वारा
और इलैक्ट्रानिक्स और इलैक्ट्रिकल उपकरणों को			90000 770
लगाने की निपुणता और रखरखाव का दो वर्ष का	1		
अनुभव।			
टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा मुअर्हित अभ्यर्थियों			.10
की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए			
जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार			
शिथल की जा सकती है।	1		
टिप्पण 2: अनुभव संवंधी अर्हता (अर्हताएं), उन		132	
कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक			
सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों	06		- 1
और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की	W .		1
दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के			1
किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को			
भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन			
समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में			
उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	S barrier		

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नित:- वेतन मैट्रिक्स में लेवल-6 (35400-112400/- रु.) में ऐसे ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (इंस्ट्रूसेंटेशन) जिन्होंने उस लेवल में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास भारतीय कृषि अनुसंधान परिपद या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों या कृषि विज्ञान केंद्र से स्वचालित मापन और नियंत्रण करने, स्ट्रेन गेज चलाने, साउंड और वाईब्रेशन उपकरणों के चलाने और इलैक्ट्रानिक्स और इलैक्ट्रिकल उपकरणों को लगाने की निपुणता और खरखाव का 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, ग्रेन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके क्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा गरंतु यह तव जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के साथ से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों हित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही हित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही हित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही हित, जिन्होंने एसी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी हर ली हो। ।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	सीधी भर्ती करते ममय और किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति जिसके अंतर्गत) कालिक संविदा भी अल्प (हैकरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं

होगी।



केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि निदेशक, कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं परीक्षण संस्थान - सदस्य या परिपदों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी मंगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी -(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मुल काडर या विभाग में लेवल -6 (35400-112400/- रु.) में उस लेवल में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस थेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो ; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। टिप्पण - 1: पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण - 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय मरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. कृषि इंजीनियर *कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (मुख्यालय) में तैनात होने पर पदधारी को महायक इंजीनियर (एम एंड टी के पद पर विनिर्दिप्ट किया जाएगा।	16* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, (अननुमचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में लेवल -7 (44900- 142400 रुपए)	चयन	30 वर्ष मे अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार मरकारी मेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा मकती हैं) टिप्पण:- आयु मीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों मे आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम नारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिप्र



	नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्कि
	जम्मू कश्मीर राज्य के लद्द
	खंड, हिमाचल प्रदेश के लाह
	और स्पीति जिलं तथा चम्बा
	जिले के पांगी उपखंड, अंदम
1	और निकोबार द्वीप
4	लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लि
	विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय मे कृषि या मेकैनिकल इंजीनियरी में डिग्री :	आयु : नहीं शैक्षणिक योग्यता : नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 60 प्रनिशन प्रोन्नित द्वार जिसके न हो सकने पर प्रनिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा
(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पित्रिक मेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओ या परिपदों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या स्वैच्छिक संगठनों से कृषि उपकरणों के परीक्षण या मूल्यांकन में दो वर्ष का अनुभव।			अत्रगत अल्पकालिक सावदा भी है; (ii) 40 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकते पर सीधी भर्ती द्वारा
या (iii) केंद्रीय मरकार या राज्य मरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पिट्टिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषदों या अर्ध सरकारी या स्वायन्त या कानूनी संगठनों से ट्रैक्टरों और कृषि उपकरणों या मशीनरी के प्रचालन या रखरखाव के अनुभव सहित अध्यापन या प्रशिक्षक का दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए।	8		
वांछनीय : यांत्रिक कृषि प्रणाली पर एक वर्ष का प्रायोगिक अनुभव।	8		
टेप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा मुअर्हित अन्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए हो लेखबद्ध किए जाएं मंघ लोक मेवा हायोग के विवेकानुसार शिथल की जा कती है।			
प्पण 2:अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं),		7-1	



उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा मकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(11)(12)(13)समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार जब किसी अधिकारी की प्रोन्नति:- वेतन मैटिक्स में लेवल-6 (35400-करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: सीधी भर्नी 112400/- रु.) में ऐसे ज्येष्ठ तकनीकी महायक प्रतिनियुक्ति संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तक्रनीकी प्रभाग), पर जिन्होंने 5 वर्ष नियमित सेवा की हो और कृषि नियुक्ति करनी हो उम कृपि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष मशीनरी के परीक्षण या विकास, ट्रैक्टरों और समय संघ लोक सेवा 2. निदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी कृषि यंत्रों या मशीनरी के प्रचालन या रखरखाव आयोग मे परामर्श प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण का 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना आवश्यक द्वारा (जिसके अंतर्गत किया हो। अपर आयुक्त (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), अल्पकालिक मंत्रिदा भी टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्तित के लिए विचार किया जा रहा हो, 4. निदेशक, कृपि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण वहां उनमे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित समूह ख विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, कृपि, सहकारिता और किमान कल्याण विभाग - अध्यक्ष जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी निदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्तति के प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक विभाग पूरी कर ली हो। अपर आयुक्त (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ऋषि, सहकारिता और किसान केंद्रीय सरकार या राज्य मरकार या संघ राज्य विभाग क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि निदेशक, कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान मंस्थानों या परिपदों या अर्ध सरकारी या संस्थान स्वायत्त या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी -(क) (i) जो मूल काडर या त्रिभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में लेवल -6 (35400-112400/- र.) में उस लेवल में

नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो ; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। टिप्पण - 1 पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण - 2 प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किमी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के . लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं

> [मिसिल सं. 13-1/2016-एम एंड टी (प्रशासन)(पार्ट VII] अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare) NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2017

G.S.R. 6(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the,-

- (1) Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institute, Group 'A' and Group 'B' (Gazetted) Technical posts Recruitment Rules, 2015; and
- (2) Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Farm Machinery Training and Testing Institute, Senior Instrumentation Engineer (Group 'A' Technical post) Recruitment Rules, 2016;

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' and Group 'B'(Gazetted) Technical posts in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, in the Farm Machinery Training and Testing Institutes, namely:-

- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Farm Machinery Training and Testing Institute. Group 'A' and Group 'B' (Gazetted) Technical posts Recruitment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.



- Application. These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these
 rules.
- 3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.— The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.
- 4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- Disqualification.— No person-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living. or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do. it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes. Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Classification Level in the pay matrix	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Director * * On posting at DAC and FW [Hq], the incumbent will be designated as Deputy Commissioner (M and T).	6* (2017) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial.	Level-12 in the pay matrix (Rs. 78800- 209200)	Selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Not applicable	Not applicable	Not applicable			

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made

(11)



Promotion:

Senior Agricultural Engineer and Senior Instrumentation Engineer in level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix with five years' regular service in the level and have successfully completed four weeks' training in the field of operation or repair and maintenance or design development, production, training and testing of agricultural equipments and machines, including tractors in the Indian Council of Agricultural Research or in the State Agricultural Universities or in any Krishi Vigyan Kendra.

Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in their respective level or post.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (Including short- term contract):

Officers under the Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutions or councils or semi-government or autonomous bodies or statutory organisations:

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
 - (ii) with five years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-

Essential:

- (i) Post Graduate Degree in Agricultural Engineering or Mechanical Engineering from a recognised University or institute; and
- (ii) Ten years' experience in the field of operation or repair and maintenance or design development or testing of agricultural equipments and machines, including tractors from any Central Government or State Government or Union Territories or Public Sector Undertakings or Agricultural Universities or recognised research institutions or councils or semi-Government or autonomous or statutory organisations.

Note 1: The departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall be not eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment. (13)	
(12)		
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Chairman or Member, Union Public Service Commission : Chairman; (2) Additional Secretary (Mechanisation and Technology : Member; Division). Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare (3) Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division). : Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).	



Department of Agriculture. Cooperation and Farmers
Welfare

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Senior Agricultural Engineer * *On posting at DAC and FW (Hq), the incumbent will be designated as Assistant Commissioner (M and T).	13* (2017) * Subject to variation	General Central Service,	Level-11 in the pay matrix	Selection	Not exceeding 40 years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti districts and Pangi subdivision of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Degree in Agricultural Engineering or Mechanical Engineering from a recognised University or Institute; and (ii) Five years' experience in operation and maintenance of tractors, agricultural machinery and allied equipments including teaching experience in any Government or	Age: No Educational qualification Yes.	One year for direct recruits and promotees.	(i) 40% by promotion: (ii) 60% by deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.
private listed organisation; or Five years' experience in handling independently testing and evaluation of farm machinery and agricultural implements in any Government or private listed organisation. Desirable:			
Post Graduate Degree in Agricultural Engineering from a recognised University or Institute.			
Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.			
Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission. for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing			



the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	

(11)

Promotion:-

Test Engineers in level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix with five years' regular service in the level, and Agricultural Engineer in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix with seven years' regular service in the level and have successfully completed four weeks of training in operation, maintenance, repair, training and testing of tractors, agricultural machinery and allied equipments from Indian Council of Agricultural Research or State Agricultural Universities or Krishi Vigyan Kendras.

Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective level or post.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion. their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short term contract):

Officers under the Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutes or councils or semi-government or autonomous bodies or statutory organisations:

- (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or
- (iii) with seven years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall be not eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: (1) Chairman or Member, Union Public Service Commission : Chairman; (2) Additional Secretary (Mechanisation and Technology Division), : Member: Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare (3) Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department : Member: of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary on each occasion.
(4) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology: Member. Division). Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: (1) Additional Secretary (Mechanisation and Technology Division). : Chairman;	



	Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	
(2)	Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department : Member: of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	
(3)	Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology: Member. Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Instrumentation Engineer	01* (2017). * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial	Level 11 in the pay matrix (Rs. 67700- 208700)	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)

Promotion:

Instrumentation Engineer in level 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix with five years' regular service in the level.

Note 1: Provided that the eligibility service in respect of persons holding the feeder grade post i.e. Agricultural Engineer (Instrumentation) on regular basis on the date of notification of the revised rules, shall continue to be the same as provided in the previous notified rules of 2001.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

	(13)	
Grou of :-	p 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting	Consultation with Union Public
(1)	Additional Secretary (Mechanisation and Technology Division). : Chairman; Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	Service Commission is not necessary.
(2)	Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), : Member; Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	
(3)	Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology: Member. Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Instrumentation Engineer.	3* (2017). * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service. Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 in the pay matrix (Rs. 56100- 177500)	Selection



(6)

Not exceeding 35 years.

(Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central

Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti districts and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)

Essential:

- (A) (i) Degree in Electronics Engineering or Instrumentation Engineering from a recognised university or institution.
 - (ii) Three years' experience in handling independently installation, calibration and maintenance of electronics and electrical instruments for automatic measurement and controls, experience in handling strain gauge, sound and vibration equipment etc. from Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognized research institutions or councils or semi-government or autonomous or statutory organisations.

Or

- (B)(i) Masters' degree in Electronics Engineering or Instrumentation Engineering from a recognised university or
 - (ii) One year experience in handling independently installation, calibration and maintenance of electronics and electrical instruments for automatic measurement and controls, experience in handling strain gauge, sound and vibration equipment, etc., from Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognized research institutions or Councils or semi-Government or autonomous or statutory organisations.

Desirable:

One year experience in instrumentation for testing of IC Engines and exhaust emission measurement system.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8) Age:- No.	(9)	(10)
Educational Qualifications: Yes.	, , ,	(i) 50% by promotion failing which by deputation (including short-term contract) failing both by direct recruitment; (ii) 50% by direct recruitment.

(11)

Promotion:

Agricultural Engineer (Instrumentation) in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix with three years' regular

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion. their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed



their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short term contract):

Officers under the Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutions or councils or semi-Government or autonomous bodies or statutory organisations:

- (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
 - (ii) with two years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or
 - (iii) with three years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall be not eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short- term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

	(12)				(13)
(1) (2) (3)	p 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion Chairman or Member, Union Public Service Commission Additional Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	:	nsisting of:- Chairman; Member; Member;		Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.
(4)	Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division). Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare p 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation Committee)		Member.	ig of:-	-,
(1)	Additional Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	:	Chairman;	,	
(2)	Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	:	Member;		
(3)	Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	1	Member.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Test Engineer	1* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 in the pay matrix (Rs. 56100- 177500)	Control of the contro



(6)	(7)
Not exceeding 35 years. (Relaxable for government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam. Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jamnu and	Essential: (1) Degree in Agricultural Engineering of a recognised university. (2) Three years' experience in testing and evaluation of agricultural machinery from any Government organisation or university or private listed organisation. Desirable: Two years' practical experience of mechanised farming practices. Note 1: Qualifications are relaxable, for the reasons to be recorded in writing, at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.
Kashmir State, Lahaul and Spiti districts and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)	
Not applicable	One year	By direct recruitment. Note:- Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the Central Government or State governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutions or councils or semi-government or autonomous or statutory organisations:-	
		 (a) (i) holding analogous post on a regular basis; or (ii) with two years' regular service in posts in level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix or equivalent; or 	
			(iii) with three years' regular service in posts in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix or equivalent; and
		(b) possessing the qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7).	

(11)	(12)	(13)
Not applicable	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Additional Secretary (Mechanisation and Technology : Chairman; Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	Consultation with Union Public Service Commission
	(2) Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), : Member; Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	is necessary on each occasion.
	(3) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and : Member. Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Agricultural Engineer (Instrumentation)	2* (2017) * Subject to variation dependent on	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non- Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900- 142400)	Selection	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.)
	workload.		. /		Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State. Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
(1) Degree in Electronics Engineering or Instrumentation Technology from a recognised university or institute. (2) Two years' experience in the installation, calibration and maintenance of electronics and electrical instruments for automatic measurement and controls, experience in handling strain gauge, sound and vibration equipment etc. from any government or private (listed) organisations. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.		Two years for direct recruits.	
Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

(11)

Promotion:

Senior Technical Assistant (Instrumentation) in level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix with five years' regular service in the level and have successfully completed four weeks' training in installation, calibration and maintenance of electronics and electrical instruments for automatic measurement and controls, handling strain guage, sound and vibration equipment from Indian Council of Agricultural Research or State Agricultural Universities or Krishi Vigyan Kendras.



Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short term contract):

Officers under the Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutions or councils or semi-Government or autonomous or statutory organisations:-

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
 - (ii) with five years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall be not eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

-	(12)		(13)
Depai	rtmental Promotion Committee (for considering promotion)	consisting of:-	Consultation with
(1)	Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	- Chairman;	Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment and
(2)	Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	- Member;	appointing an officer on deputation (including short term contract).
(3)	Additional Commissioner (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	- Member;	y "
(4)	Director, Farm Machinery Training and Testing Institute	- Member.	
Depar	tmental Confirmation Committee (for considering confirma	tion) consisting of:-	
(1)	Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	- Chairman;	€" 1
(2)	Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	Member;	C P
(3)	Additional Commissioner (Mechanisation and - Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	Member;	
(4)	Director, Farm Machinery Training and Testing Institute	Member.	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. Agricultural Engineer * *On posting at DAC and FW (Hq), the incumbent will be designated as Assistant Engineer (M and T)	* Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs, 44900- 142400)	Selection

(6)	(7)
Not exceeding 30 years.	Essential:
(Relaxable upto five years for Government Servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.	 (i) Degree in Agricultural Engineering or Mechanical Engineering of a recognised University. (ii) Two years' experience in testing and evaluation of agricultural machinery from Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutions or councils or semi-Government or autonomous or statutory organisations. or (iii) Two years' experience of teaching or as a trainer, including experience in operation or maintenance of tractors and agricultural implements or machinery, the experience sought is to be from Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutions or councils or semi-Government or autonomous or statutory organisations. Desirable: One year practical experience of mechanised farming practices. Note 1: Qualifications are relaxable, for reasons to be recorded in writing, at the discretion of the Union Public Service Commission, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable, for the reasons to be recorded in writing, at the discretion of Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the required experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)		
Age: No		(i) 60% by promotion failing which by deputation including short term		
Educational qualifications: No.	recruits.	contract; (ii) 40% by deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.		

(11)

Promotion:

Senior Technical Assistant with five years' regular service in level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix and have successfully completed four weeks' training in testing or development of agricultural machinery, operation or maintenance of tractors and agricultural implements or machinery.

Note: Where junior who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than



half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such

Deputation (including short term contact):

Officers under the Central Government or state government or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutions or councils or semi-Government or

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
 - (ii) with five years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix in the parent cadre or department: and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall be not eligible for consideration for

Note 2: Period of deputation (including short term contact) including period of deputation (including short term contact) in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily, not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contact) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of

C	(12)	(13)
Gro	up 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-	10,000
(1)	Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division) Chairman: Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	Consultation with the Union Public Service
(2)	Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology - Member; Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	Commission is necessary while making direct recruitment and
(3)	Additional Commissioner (Mechanisation and Technology - Member: Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	appointing an officer on deputation
(4)	Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.	(including short term contract).
Grou consi	p 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation)	
(1)	Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), - Chairman; Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	F 5
(2)	Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology - Member; Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	5 5 5
(3)	Additional Commissioner (Mechanisation and Technology - Member; Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	
(4)	Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.	

[F. No. 13-1/2016-M&T (Admn.) (Pt VII)]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

6.4



EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256] No. 256]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 19, 2018/चैत्र 29, 1940

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 19, 2018/CHAITRA 29, 1940

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सा.का.नि. 384(अ).—राप्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, समूह 'ख' (अराजपत्रित) तकनीकी पद भर्ती नियम, 2015, को उन वातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण मे पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किमान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में समूह 'ख' (अराजपत्रित) तकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, समूह 'ख' (अराजपत्रित) तकनीकी पद भर्ती नियम, 2018 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रदत्त होंगे ।
- लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपावद्ध अनुमूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिप्ट पदों को लागू होंगे। 2.
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु मीमा, अर्हताएं और उसमे मंबंधिन अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरईता.—वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पनि या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या



(ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-मीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

141				
पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैद्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	. (4)	(5)
(।) 1. ज्येष्ठ तकनीकी महायक	21* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	बेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपए)	चयन

-	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु मीमा
	(6)
30 वर्ष से अधिक नहीं टिप्पण 1: (केंद्रीय सरकार द्व	ारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सक

है)
टिप्पण 2: आयु मीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम
टिप्पण 2: आयु मीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम
तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर
तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर
राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहाँल और स्पीति जिले तथा चम्या जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोवार द्वीप या लक्षद्वीप
राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहाँल और स्पीति जिले तथा चम्या जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोवार द्वीप या लक्षद्वीप
राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहाँल और स्पीति जिले तथा चम्या जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोवार द्वीप या लक्षद्वीप

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धनियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7) अनिवार्य: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि इंजिनियरिंग या मेकेनिकल इंजिनियरिंग में डिग्री टिप्पण: अर्हताएं, अन्यथा मुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या नक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथल की जा सकती हैं।		(9) मीधी भर्ती किए गए एवं प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष	द्वारा जिसक न हा सकत



प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रोन्नति :

ऐसे तकनीकी महायक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300/- रु.) में उम स्तर में 6 वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र से परीक्षण ट्रैक्टरों और कृषि यंत्रों या मशीनरी के प्रचालन या रखरखाव का 2 मप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति:

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन ऐसे अधिकारी -

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
 - (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में बेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300/- रु.) या समतुल्य में उस स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 6 वर्ष नियमित सेवा की हो ;
- (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

टिप्पण 1 : पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्तित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त ब्यक्ति प्रोन्तित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि त्रिभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में मंघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्तित सिमिति (प्रोन्तित पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्थ करना आवश्यक नहीं हैं।
3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - सदस्य विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (उपकरण)	03* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	माधारण केन्द्रीय मेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुमचिवीय	वेतन मैट्टिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपए)	लाग् नहीं होता

30 र्सामे अधिक बरी

ठण वय न जावक गहा टिप्पण : केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।



टिप्पण 2: आयु मीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लदाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए बिहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)
अनिवार्य : (क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रोनिक्स या उपकरण प्रौद्यागिकी में डिग्री	लागू नहीं होता	2 वर्ष
या (ख) (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रोनिक्स या उपकरण प्रौद्यागिकी में डिप्लोमा (ii) सरकारी विभाग या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या स्वायत्त संगठन या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में स्वचालित मापन और नियंत्रण करने के लिए और इलैक्ट्रोनिक उपकरणों को स्थापित और संचालित करके, ब्यास मापन और रखरखाव का दो वर्ष का अनुभव।		
टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा मुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी (अर्हताएं), कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थीयों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		

2 24 - 12 K 4 9	
(10)	(11)
तीधी भर्ती द्वारा टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकेगा। (क) (i) जो किसी मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्टिक्स में स्तर - 5 (29200-92300/- रु.) या समत्ल्य में उस	लागू नहीं होता
स्तर में पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 6 वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।	

(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:	संघ लोक सेवा आयोग से
1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष	परामर्श करना आवश्यक
2. अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग – सदस्य	नहीं है।
3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान 🕒 सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. नक्शानवीम श्रेणी I	01* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	माधारण केन्द्रीय नेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनन्सचिवीय	बेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (35400-112400 रुपण)	लागू नहीं होता

[भाग II-खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नत व्यक्तियों के	मिश्रित पद्धति द्वारा। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक
	होता	होता	लिए 2 वर्ष	मंबिदा भी है) एवं प्रोन्नति

(11)

मिश्रित पद्धति : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या प्रोन्नति :

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सैक्टर उपक्रमां या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषदों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त और कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी–

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या
 - (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में बेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300/- रु.) या समतुल्य में उस स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 6 वर्ष नियमित सेवा की हो ;
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं, अर्थात् –

जिन्होंने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नक्शानवीश (यांत्रिकी) में डिप्लोमा प्राप्त किया हुआ हो ;

किसी संगठन से इस क्षेत्र में 7 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया हुआ हो ।

टिप्पण 1: ऐसे विभागीय नक्शानवीश थेणी II जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300/- रु.) स्तर में 6 वर्ष नियमित सेवा की हो, पर भी प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उस पर पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्तित द्वारा भरा समझा जाएगा। प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्तित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(13)
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 13-1/2016-एम एंड टी (प्रशासन)(पार्ट VI)]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2018

- G.S.R. 384(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institute, Group 'B' (Non-Gazetted) Technical posts Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' (Non-Gazetted) Technical posts in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, in the Farm Machinery Training and Testing Institutes, namely:-
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Farm Machinery Training and Testing Institute, Group 'B' (Non-Gazetted) Technical posts Recruitment Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.
- 4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

Disqualification.—No person-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do. it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non- selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Senior - Technical Assistant	21* (2018) * Subject to variation dependent on workload	General Central Services, Group B', Non-Gazetted, Non-ministerial	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400- 112400)	Selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not exceeding 30 years. Note 1: Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential: Degree in Agricultural Engineering or Mechanical Engineering from a recognized University or Institute. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	Age- No Educational Qualification: No	Two years for direct recruits and promotees.	(i) 50 percent by promotion failing which by deputation: (ii) 50 percent by direct recruitment



In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made

(11)

Promotion:

Technical Assistant in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix with six years regular service in the level and have successfully completed two weeks of training in testing, operation or maintenance of tractors and agricultural implements or machinery from the Indian Council of Agricultural Research or Agricultural University or Krishi Vigyan Kendra.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation:

The officers under the Central Government or State Government or Union territory administrations:-

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with six years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall be not eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily, not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
	(12)	(13)
(1) (2) (3)	rtmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of: Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; Under Secretary (Mechanisation and Technology Division) Member; Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery - Member,	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.
	Training and Testing Institute	100
Depar	tmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-	200
(1)	Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman:	
(2)	Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), - Member; Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	
(3)	Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery - Member. Training and Testing Institute	Br II

(1)	(2)	(3)	(4)	151
Assistant (Instrumentation).		General Central Services, Group 'B', Non-Gazetted, Non-ministerial.	Level-6 in the	Not applicable



(6)	(7)
Not exceeding 30 years.	Essential:-
Note 1: Relaxable for Government Servants upto five years in accordance	(A). Degree in Electronics or Instrumentation Technology from a recognised University or institute. Or
with the instructions or orders issued by the Central Government.	(B) (I) Diploma in Electronics or Instrumentation Technology from a recognised University or institute.
Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal	(II) Two years experience in operation, installation, calibration and maintenance of electronic instruments for automatic measurement and control in a Government department or Public Sector undertaking or in a University or autonomous organisation or in a recognised research institution.
Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland. Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State. Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of Staff Selection Commission or competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the required experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years.	By Direct Recruitment.
Not applicable. Two years.	Note: Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by deputation from officers under the Central Government: (a) (i) Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department or	
		(ii) with six years regular service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and
	8 1	(b) possessing the qualification and experience prescribe for direct recruits under column (7).

(11)	(12)	(13)
Not applicable	Departmental Confirmation Committee (For considering confirmation) consisting of :-	Consultation with Union
	(1) Director, Farm Machinery Training and Testing - Chairman; Institute	Public Service Commission is
	(2) Under Secretary (Mechanisation and Technology - Member; Division). Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	not necessary.
	(3) Administrative Officer or Head of the Office of the - Member. Farm Machinery Training and Testing Institute	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Draughtsman Grade I	* Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'B', Non-Gazetted, Non- Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400- 112400).	Not

[भाग II-खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	By composite method. Deputation (including short term contract) plus promotion.

(11)	(12)	(13)
Composite method: Deputation (Including Short Term Contract) or Promotion: Officers under the Central Government or State Government or Union Territories or Public Sector Undertakings or Agricultural Universities or Recognized Research Institutions or councils or Semi-Government or Autonomous or Statutory organizations: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Diploma in Draughtsmanship (Mechanical) from a recognized University or Institute; (ii) Seven years practical experience in the line in an organisation.	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.
Note 1: The Departmental Draughtsman Grade II in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix with six years regular service in the level will also be considered along with deputationists and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. Deputationists shall be not eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	*	

[F. No. 13-1/2016-M&T (Admn.) (Pt VI)]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESh SUKUL Date 2018.34 19 22 37 54 +35'33'







EXTRAORDINARY

II— — (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

PUBLISHED BY AUTHORITY

877]

No. 877]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 24, 2017/KARTIKA 2, 1939

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 1329(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, तकनीकी, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2014, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, तकनीकी, समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2015 को, उन वातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में समूह 'ग' तकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, तकनीकी, समूह 'ग' पदों भर्ती नियम, 2017 है ।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रदन्त होंगे।
- लागू होना: ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिप्ट पदों को लागू होंगे।
- 3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उसमे मंबंधित अन्य वातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निर्रहताः वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ; या
 - (ख) जिसने अपने पिन या अपनी पित्री के जीविन रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ;



उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्तिः जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपवंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्तिः इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े बगों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण वेतन मैट्रिक्स में र		चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(। तकनीकी सहायक	19* (2017) *कार्यभार के आधार पर	साधारण केन्द्रीय मेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुमचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 5 (29200-92300 रुपए)	चयन

मीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु मीमा	सीधे भर्ती किए जाने	सीधे भर्ती किए	परिवीक्षा की	भर्ती की पद्धति; भर्ती
	वाल व्याक्तया क	जान वाल व्याक्तया	अवधि, यदि	मीधे होगी या प्रोन्नति
	लिए अपेक्षित शैक्षिक	के लिए विहित आयु	कोई हो	द्वारा या
	और अन्य अर्हताएं	और शैक्षिक अईताएं		प्रतिनियुक्ति/आमेलन
		प्रोन्नत व्यक्तियों		द्वारा तथा विभिन्न
		की दशा में लागू		पद्धतियों द्वारा भरी
		होंगी या नहीं		जाने वाली रिक्तियों
			ь:	की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	मान्यता प्राप्त	आयु ; नहीं	मीधी भर्ती	(i) 50 प्रतिश
18 से 27 वर्ष के बीच	संस्थान या		किए जाने	प्रोन्नति द्वार
	विश्वविद्यालय से	शैक्षिक अर्हताएं	वाले	
(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए	कृषि इंजीनियरी	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	व्यक्तियों के	(ii) 50 प्रतिश
अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी मेवकों के	में डिप्लोमा के	; नहीं	लिए 2 वर्ष	मीधी भ
लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)	साथ सुसंगत क्षेत्र			द्वारा
टिप्पण 1:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए	में पांच वर्ष का			aiti
निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन	अनुभव			
प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख	4 1			1
होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय,				1
अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड,			3	
			m , 2	*
त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड,				
हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा				
चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार				
द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई				
है।)				
टिप्पण 2:- आयु मीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक नारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा	0			
निर्णायक ताराख कमचारा चयन आयाग द्वारा निर्धारित होगी। (जहां भर्ती कमचारी चयन आयोग	, X			



द्वारा नहीं की जाती, वहां आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी)।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थिनियों में संघ लोक मेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति:- ऐसे ज्येष्ठ तकनीशियन जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (25500-81100/- रु.) में उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।	समूह ग विभागीय प्रोन्नित मिमिति (प्रोन्निति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्निलिखित होंगे : 1. निदेशक, फार्म मशीनिरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष	लागू नहीं होता
टिप्पण 1- जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्तित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के	2. अवर सचिव (यंत्रीक रण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग – सदस्य 3 फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय अध्यक्ष – सदस्य	
आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों महित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह ग विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग – सदस्य 3. फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय अध्यक्ष – सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. नक्शानवीश थेणी ॥ •	1* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	माधारण केन्द्रीय मेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 5 (29200-92300 रुपए)	लागू नही होता

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय .मरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण 1:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से	मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय मे नक्शानवीश (मैकेनिकल) में डिप्नोमा के माथ मुसंगन क्षेत्र में पांच वर्ष के अनुभव	लागू नहीं होता	मीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	मीधी भर्ती द्वारा टिप्पणः पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी



आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्वा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पिल्लक सैक्टर उपक्रम या अर्ध सरकारी संगठनों के अधिकारियों, जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पाम स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्नी किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और
टिप्पण 2:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित होगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाती, वहां आयु मीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी)।	शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों, की जा सकेंगी।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह् ग विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :	लागू नहीं होता
	1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष	
	2. अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य	
	3. फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय अध्यक्ष – सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. कृपि महायक	04* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा मकना है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचित्रीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 (25500-81100 रुपए)	लागू नहीं होता

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय मरकार द्वारा समय-समय पर ज किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुव सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शि की जा सकती है) टिप्पण 1:- आयु मीमा अवधारित करने लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थिये आवेदन प्राप्त करने के लिए नियन की अंतिम नारीख होगी। (न कि वह अंति तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रते	नार थेल के i मे गर्ड	लागू नहीं होता	दो वर्प	मीधी भर्ती द्वारा टिप्पणः पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी वीमारी या अध्ययन छुट्टी या किंही अन्य परिस्थितिय में एक वर्ष या इमसे अधिक अविध के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय या राज्य सरकारों या मंघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायन्त या कानूर्न मंगठनों या पिल्लक सैक्टर उपक्रम या अर्ध सरकारी मंगठनों वे अधिकारियों, जो नियमित आधार पर सद्दश पद धारण किए हुए है



मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा,	और जिनके पास स्तंभ (7) के
सिकिकम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड,	अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले
हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले	व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं
तथा चम्वा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान	और शैक्षणिक योग्यताएं और
और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों	अनुभव रखते हों, की जा सकेंगी ।
के लिए विहित की गई है।)	
टिप्पण 2:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग	
द्वारा निर्धारित होगी। (जहां भर्ती कर्मचारी	
चयन आयोग द्वारा नहीं की जाती, वहां आयु	
सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक	
तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख	
होगी)।	

(11)	(12)	(13)
हाता	समूह ग विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नितिखित होंगे : 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 3. फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय अध्यक्ष - सदस्य	लागू नही होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. ज्येष्ठ तकनीशियन	50* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	बेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 (25500-81100 रुपए)	लागू नहीं होता

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18 से 27 वर्ष के बीच	(क) (i) औद्योगिक प्रशिक्षण	लागू नहीं होता	मीधे भर्ती किए	(i) 25 प्रतिशत
(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी समय-समय पर	संस्थान (आईटीआई) से	र्गता	जाने व्यक्तियों केदो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा ;
किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार	मेकैनिक कृषि मशीनरी या		I am same	(ii) 75 प्रतिशत सीधी
सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक	मेकैनिक मोटर यान या			भर्ती द्वारा
शिथिल की जा सकती है)	मेंकैनिक ट्रैक्टर या मेकैनिक	A		
टिप्पण 1:- आयु सीमा अवधारित करने के	डीजल इंजन या			
लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों	इलैक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रमाण			
में आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई	पत्र;			
अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम				
तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल	(ii) ट्रैक्टर या भारी			
ादेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा,	परिवहन यान या भारी			
मेक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख	मिट्टी हटाने वाले उपस्कर के			74
is, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति	प्रचालन अथवा रखरखाव			
जेले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड,	या विद्युत रखरखाव में पांच			
नंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के	वर्ष का अनुभव ; और			
स्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	(ख) हल्के और भारी यान तथा		1 1	V
टेप्पण 2:- आयु मीमा अवधारित करने के	ट्रैक्टर के चालन की बैद्य चालन अनुज्ञप्ति रखना हो।	*		



लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित होगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाती, वहां आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी)।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति:- ऐसे तकनीशियन जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 2 (19900-63200/- रु.) में उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की हो।	ममूह ग विभागीय प्रोन्तित मिमिति (प्रोन्तित पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि,	लागू नहीं होना
टिप्पण 1- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता मेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो,	सहकारिता और किसान कल्याण विभाग – सदस्य 3. फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय अध्यक्ष – सदस्य	
वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता मेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी	समूह ग विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य	
अर्दन एस कान के व्यक्तिया साहत, का हान एस अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	सहकारता और किसान कल्याण विभाग - नदस्य 3 फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय अध्यक्ष - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. तकनीशियन	21* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	माधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 2 (19900-63200 रुपए)	लागू नही होता

(6)

18 से 27 वर्ष के बीच

(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा

टिप्पण 1:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों में आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गईं अंतिम तारीख होगी। (त कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्वा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकाबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2:- आयु मीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक नारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित होगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित होगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जानी, वहां आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक नारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम नारीख होगी)।



(7)	(8)	(9)	(10)
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) से इलैक्ट्रीकल ट्रेड या डीजल मेकैनिक ट्रेड या मोटर मेकैनिक ट्रेड या ट्रैक्टर मेकैनिक ट्रेड में प्रमाण पत्र के साथ उपरोक्त वर्णित ट्रेडों में से किसी में भी तीन वर्ष का अनुभव तथा यानों व ट्रैक्टरों के चालन तथा रखरखाव में प्रवीणता होनी चाहिए तथा हल्के और भारी कार्य यानों व ट्रैक्टरों के लिए वैद्य चालन अनुज्ञप्ति रखतो हो; या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) से इलैक्ट्रीकल या इलैक्ट्रानिक या उपकरणों या उपकरणों या इलैक्ट्रानिक रखरखाव में तीन वर्ष का अनुभव।	आयु : नहीं शैक्षणिक योग्यता : हां	मीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 33.33 प्रनिशत प्रोन्नित द्वारा ; (ii) 66.67 प्रतिशत मीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्तति:- ऐसे बहुकार्य कर्मचारीवृंद (तकनीकी) और बहुकार्य कर्मचारीवृंद (तकनीकी) और बहुकार्य कर्मचारीवृंद (गैर-तकनीकी) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 1 (18000-56900/- रु.) में उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित मेवा की हो, जो स्तंभ 7 में वर्णित सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों।	समूह ग विभागीय प्रोन्नित सिमिति (प्रोन्नित पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्निलिखित होंगे: 1. निदेशक, फार्म मशीनिरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष 2. अवर सिचव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि, महकारिता और किमान कल्याण विभाग - सदस्य 3. फार्म मशीनिरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय अध्यक्ष - सदस्य	लागू नहीं होता
टिप्पण 1- प्रोन्नित के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा संवंधित स्तर या पद पर विहित अर्हक सेवा पूरी होने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी। टिप्पण 2- जहां ऐसे किनिष्ठ व्यक्तियों के संवंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके खेष्ठ व्यक्तियों के संवंध में भी विचार किया जाएगा तरंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे में अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित, जेन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के अपधे से करिष्ठ व्यक्तियों सहित, जेन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ती है, अगली उच्चतर थेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी रिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह ग विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष 2. अवर सचिव ((यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 3. फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के प्रशामनिक अधिकारी या कार्यालय अध्यक्ष - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. बहुकार्य कर्मचारीवृंद (तकनीकी)		साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 1 (18000-56900 रुपए)	लागू नहीं होना

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष	(i) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) से ट्रैक्टर मेकैनिक या फार्म मेकैनिक या डीजल मेकैनिक में	लागू नहीं होता		ति। मीधी भर्ती द्वारा टिप्पणः पदधारी प्रतिनियुक्ति या लम्बी वीमारी या अध्ययन छुट्ट या किंही अन्य परिन्थितिय



000000			T 24
तक शिथिल की जा सकती है)	प्रमाण पत्र ; और	वर्प	में एक वर्ष या इससे अधिक
टिप्पण 1:- आयु सीमा अवधारित करने	A) 20		अवधि के लिए बाहर रहने
के लिए निर्णायक तारीख भारत में	// A-3: > 6- A	7	के कारण हुई टिक्तियां
अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए	(ii) ट्रैक्टरों के लिए वैद्य चालन		केन्द्रीय या राज्य सरकारों
नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि	अनुज्ञप्ति रखते हो		या मंघ राज्य क्षेत्र प्रशासन
वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय,		- 1	या स्वायत्त या कान्नी
अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,	N7		संगठनों या पश्चितक सैक्टर
			उपक्रम या अर्ध सरकारी
नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर			संगठनों के अधिकारियों, जो
राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के			नियमित आधार पर सदश
लाहौल और मुपीति जिले तथा चम्बा जिले			
			पद धारण किए हुए हैं और
के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार			जिनके पाम स्तंभ (7) के
द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए			अधीन मीधे भर्ती किए जाने
विहित की गई है।)			वाले व्यक्तियों के लिए
टिप्पण 2:- आयु-सीमा अवधारित करने			विहित अर्हनाएं और
		1 ' 1	शैक्षणिक योग्यताएं और
के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन	20 x 19 x 2		The second state of the Billion of the second
आयोग द्वारा निर्धारित होगी। (जहां भर्ती		v 1	अनुभव रखते हों, की जा
कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की			सकेंगी।
जाती, वहां आयु-सीमा अवधारित करने के			
लिए निर्णायक तारीख आवेदनों की प्राप्ति			
की अंतिम तारीख होगी)।			

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होना	समूह ग विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य	लागू नहीं होता
	3. फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय अध्यक्ष – सदस्य	

[मिसिल सं. 13-1/2016-एम एंड टी (प्रशासन)(पार्टIX)]

अश्वनी कुमार, मंयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2017

G.S.R. 1329(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institute, Technical, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2014, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institute, Technical, Group 'C' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' technical posts in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, in the Farm Machinery Training and Testing Institutes, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare, Farm Machinery Training and Testing Institute, Technical, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2017.



- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- Application. These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these
 rules.
- 3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.— The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.
- 4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 5. Disqualification- No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non- selection post
1. Technical Assistant	(2) 19* (2017) * Subject to variation dependent on workload		(4) Level- 5 in the pay matrix (Rs. 29200- 92300)	(5) Selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various
(6)	(7)	(8)	(9)	methods
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in	Diploma in Agricultural Engineering from a recognized Institute or University with	Age –No Educational qualifications - No		(10) (i) 50% by promotion; ii) 50% by direct recruitment.



India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya,		25		in the said
Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,		8		100
Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh			7 7 7	A AND A
Division of Jammu and Kashmir State,			106	14 - HART
Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-			711.	
Division of Chamba District of Himachal				.0
Pradesh, Andaman and Nicobar Islands		V 10		
or Lakshadweep).				J* 584
Note 2: The crucial date for determining		148		
the age-limit shall be as advertised by the				
Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection				
Commission, crucial date for determining		1 10		
the age-limit shall be the last date for				
receipt of applications).	17 4/2	0		7

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made

(11)

Promotion:

Senior Technicians in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix with five years' regular service in the grade.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
	(12)	(13)
Group	'C' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of :-	Not applicable.
(1)	Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman;	5.0
(2)	Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), - Member;	
	Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	
(3)	Administrative Officer or Head of the Office of the Farm - Member.	
	Machinery Training and Testing Institute	
Group	'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting	X1 1
of:-		1 0° 0
(1)	Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman;	100
(2)	Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), - Member;	
	Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	
(3)	Administrative Officer or Head of the Office of the Farm - Member.	
10.75	Machinery Training and Testing Institute	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Draughtsman Grade II	1* (2017) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial		Not applicable



(6)

Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.)

Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Diploma in Draughtsmanship (Mechanical) from a recognized Institute or University with five years' experience in the relevant field.	Not applicable.	Two years' for direct recruits.		Not applicable


(12)	(13)
roup 'C'Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), - Member; Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare Administrative Officer or Head of the Office of the Farm - Member. Machinery Training and Testing Institute	Not applicable.

3. Agricultural	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant	4* (2017) * Subject to variation dependent on	UIOUD C. Non-Gazetted	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500- 81100)	Not applicable
	workload			1.3

Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.)

Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for



	(13)		
Group :-	'C'Departmental Confirmation Committee (for considering confi	rmation) consisting of	Not applicable.
(1)	Director, Farm Machinery Training and Testing Institute	- Chairman;	
(2)	Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	- Member;	<u>.</u>
(3)	Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute	- Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Senior Technician	* Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100)	Not applicable.

(6)

Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.)

Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).

(7)	(8).	(9)	(10)	(11)
(A) (i) Industrial Training Institute (ITI) Certiifcate in Mechanic Agricultural Machinery or Mechanic Motor Vehicle or Mechanic Tractor or Mechanic	Not applicable.	Two years' for direct recruits.	(i) 25% by promotion; (ii) 75% by direct recruitment.	Promotion: Technicians in level-2 (Rs. 19900-63200) in the pay matrix with eight years' regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or



Diesel Engine or Electrician trade; (ii) five years experience in operation and maintenance of tractor or heavy transport vehicle or heavy earthmoving equipments or electrical maintenance; and	eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
(B)Possessing valid driving licence of light and heavy duty vehicle and tractor.	

	(12)		(13)
Group	'C'Departmental Promotion Committee (for considering Promo	tion) consisting of :-	Not applicable.
(1)	Director, Farm Machinery Training and Testing Institute	- Chairman;	-
(2)	Under Secretary (Mechanisation and Technology Division),	- Member;	
	Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare		
(3)	Administrative Officer or Head of the Office of the Farm	- Member.	
	Machinery Training and Testing Institute		
			į i
Group of:-	'C'Departmental Confirmation Committee (for considering conf	irmation) consisting	
(1)	Director, Farm Machinery Training and Testing Institute	- Chairman;	1
(2)	Under Secretary (Mechanisation and Technology Division),	- Member;	
18 D	Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare		
(3)	Administrative Officer or Head of the Office of the Farm	- Member.	
220000	Machinery Training and Testing Institute		()

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Technician	21* (2017) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial		Not applicable

Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.)

Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Industrial Training Institute (ITI) Certificate in Electrical trade or Diesel Mechanic trade or Motor Mechanic trade or Tractor Mechanic trade with three years experience in any of the trades mentioned above and proficiency in driving and maintenance of vehicles and tractors and should possess a valid driving licence for light and heavy duty vehicles and tractors;	Educational Qualification: Yes	Two years' for direct recruits.	(i) 33.33% by promotion: (ii) 66.67% by direct recruitment.



EG IV	
(ii) Industrial Training Institute (ITI) Certificate in Electrical or	
Electronic or Instrument Mechanic with three years experience	
in auto electrical or instruments or electronics maintenance.	

(11)

Promotion:

Multi-Tasking Staff (Technical) and Multi-Tasking Staff (Non-Technical) in level-1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix with three years' regular service in the grade possessing the educational qualification and experience as prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in their respective level or post.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

	(12)		(13)
Group	'C' Departmental Promotion Committee (for considering Promo		Not applicable.
(1)	Director, Farm Machinery Training and Testing Institute	- Chairman;	
(2)	Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	- Member;	
(3)	Administrative Officer or Head of the Office of the Farm	- Member.	
	Machinery Training and Testing Institute	*	
Group of:-	'C'Departmental Confirmation Committee (for considering conf	irmation) consisting	
(1)	Director, Farm Machinery Training and Testing Institute	- Chairman;	
(2)	Under Secretary (Mechanisation and Technology Division),	- Member;	1
***	Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare		(n
(3)	Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute	- Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Multi-Tasking Staff (Technical)		General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial		Not applicable

(6)

Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.)

Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).

	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)	Industrial Training Institute (ITI) Certificate		Two years' for direct	by direct recruitment.	Not applicable.
(ii)	in Tractor Mechanic or Farm Mechanic or Diesel Mechanic; and Possessing valid driving licence of tractor.		recruits.	Note: Vacancies caused by the incumbents being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on	1 × 1

transfer on deputation basis from officers of Central Government possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Group 'C' Departmental Confirmation C	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting	Not applicable.
 Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), - Member; Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare Administrative Officer or Head of the Office of the Farm - Member. Member. 	••

[F. No. 13-1/2016-M&T (Admn.) (Pt. IX)]
ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.





असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 570] No. 570]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 14, 2018/श्रावण 23, 1940

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 14, 2018/SHRAVANA 23, 1940

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 774(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान तकनीकी, समूह ग भर्ती नियम, 2017 का मंशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षा संस्थान, तकनीकी समूह ग पद भर्ती (संस्थान) नियम, 2018 कहा जाएगा।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षा संस्थान, तकनीकी समूह ग पद भर्ती नियम, 2017 की अनुसूची में
- (क) कॉलम (7) के तहत प्रविष्टियों के बाद वरिष्ठ तकनीशियन के पद के संबंधित क्रम संख्या 4 में निम्नलिखित टिप्पणी को जोड़ा जाएगा अर्थात्
 - "टिप्पणी; जिस विशेष ट्रेड में वरिष्ठ तकनीशियन की भर्ती अपेक्षित है, उसका उल्लेख भर्ती के समय किया जाएगा"
- (ख) कॉलम (7) के तहत प्रविष्टियों के बाद तकनीशियन के पद मं. मंबंधित क्रम संख्या 5 में निम्नलिखित टिप्पणी को जोड़ा जाएगा अर्थान्





"टिप्पणी: जिस विशेष ट्रेड में तकनीशियन की भर्ती अपेक्षित है, उसका उल्लेख भर्ती के समय किया जाएगा"

[फा.सं. 13-1/2016-एम एंड टी (प्रशासन) (पीटी. IX)]

अश्विनी कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम, भारत के राजपत्र के भाग-II खंड-3, उप-खंड (i) में दिनांक 10 अक्तूबर, 2017 के जी.एस.आर. 1329(अ) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2018

G.S.R. 774(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Farm Machinery Training and Testing Institute, Technical, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2017, namely:-

- (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Farm Machinery Training and Testing Institute, Technical. Group 'C' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Schedule to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare, Farm Machinery Training and Testing Institute, Technical, Group 'C' Posts Recruitment Rules. 2017.
- (a) against serial No. 4 relating to the post of Senior Technician, after the entries under column (7), the following Note shall be inserted, namely:-

"Note: the particular trade in which a Senior Technician is required to be recruited shall be specified at the time of recruitment.";

(b) against serial No. 5 relating to the post of Technician, after the entries under column (7), the following Note shall be inserted, namely:-

"Note: the particular trade in which a Technician is required to be recruited shall be specified at the time of recruitment.".

[F. No. 13-1/2016-M&T (Admn.) (Pt. IX)]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R 1329(E), dated 10th October, 2017.

KUMAR

Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.08.17 21:54:56 +05'30'



भिरित का राजपश The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1049]

नई दिल्ली, रविवार, दिसम्बर 31, 2017/पौष 10, 1939

No. 1049] NEW DELHI, SUNDAY, DECEMBER 31, 2017/PAUSHA 10, 1939

> कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण)

अधिसचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 1612(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और और कृषि मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (समूह 'क' और 'ख' राजभाषा पद), भर्ती नियम,201 5, को उन वातों के मिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में राजभाषा से संबंधित समूह 'क' और 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-:

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि,सहकारिता और किसान कल्याण विभाग : फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, (समूह 'क' और 'ख' राजभाषा पद), भर्ती नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख़ को प्रदत्त होंगे।
- लागू होना. -ये नियम इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिप्ट पदों को लागू होंगे। 2.
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में म्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-मीमा, अर्हताएं और उसमे संवंधित अन्य वातें वे होंगी, जो उक्त अनुमूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं। 7502 GI/2017

(10)

- निरर्हता.—वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या ममीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपवंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े बर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के जलए उपवंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. कनिष्ठ अनुवादक	2* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (35400-112400 रुपए)	लागू नहीं होता

- V	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	
	(6)	

30 वर्ष से अधिक नहीं।

(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण: आयु-मीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख को असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और म्पीति जिलेतथा चम्या जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

	मीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
	(7)
किसी मान्यत	ाप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में अंग्रेजी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा का माध्यम डिग्री स्तर
का हो, के रूप	ा में मास्टर डिग्री।
	या
C	

का हो, के रूप में मास्टर डिग्री।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न, हिंदी माध्यम में और अंग्रेजी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा का माध्यम डिग्री स्तर का हो, के रूप में किसी भी विषय में मास्टर डिग्री।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न, अंग्रेजी माध्यम में और हिंदी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा का माध्यम डिग्री स्तर का हो, के रूप में किसी भी विषय में मास्टर डिग्री।

या

किमी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न, हिंदी और अंग्रेजी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम और दूसरा अनिवार्य या ऐच्छिक विषय डिग्री स्तर का हो, के रूप में किमी भी विषय में मास्टर डिग्री;

और

हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद आदि का मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम या केंद्रीय या राज्य सरकार के कार्यालय जिसमें भारत सरकार के उपक्रम भी शामिल हैं, में हिंदी में अंग्रेजी और अंग्रेजी ने हिंदी में अनुवाद के कार्य में 2 वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं, उन कारणों को लेखबद्ध करके कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन प्रक्रिया के समय संघ कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थीयों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	,,,,,	The state of the s	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण: किसी पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय तक प्रतितियुक्ति पर जाने या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश लेने या अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत अवकाश लेने पर रिकित्यों को केन्द्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकेगा। (क) जो सूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है, और (ख) जो कॉलम (7) में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नित ममिति है तो उमकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)		(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) 1. संबंधित परिषद् के निदेशक - अध्यक्ष		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
 अवर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग 	- मदस्य	
3. प्रशासनिक अधिकारी या परिषद् कार्यालय के प्रमुख	- सदस्य - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक निदेशक (राजभाषा)	1* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा मकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुमचिबीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -10 (56100-167800 रुपए)	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिल्ते तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियं के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होना		प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	

(11)

पोन्नति -

कनिष्ठ अनुवादक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35400-112400/- रु. में उस स्तर में 8 वर्ष नियमित सेवा की हो।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।



प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है);

े केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सैक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या कानूनी और स्वायत्त निकायों के अधीन अधिकारी -

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
 - (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर— 8 (47600-151100/- उस स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस स्तर में 2 वर्ष नियमित सेवा की हो ;
 - (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400/- रु.) या समतुल्य में उस स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की हो ;
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं, अर्थात्
 - (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में अंग्रेजी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा का माध्यम डिग्री स्तर का हो, के रूप में मास्टर डिग्री।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में हिंदी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा का माध्यम डिग्री स्तर का हो, के रूप में मास्टर डिग्री।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न, हिंदी माध्यम में और अंग्रेजी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा का माध्यम डिग्री स्तर का हो, के रूप में किसी भी विषय में मास्टर डिग्री।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न, अंग्रेजी माध्यम में और हिंदी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा का माध्यम डिग्री स्तर का हो, के रूप में किसी भी विषय में मास्टर डिग्री।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न, हिंदी और अंग्रेजी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम और दूसरा अनिवार्य या ऐच्छिक विषय डिग्री स्तर का हो, के रूप में किसी भी विषय में मास्टर डिग्री;

(ii) हिंदी में उपयोग या लागू की जाने वाली पारिभाषिकी शब्दावली (पारिभाषिक शब्दावली कार्य) और अंग्रेजी में हिंदी या विपर्ययेन अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव जिसमें केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सैक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थाओं के अधीन तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य संबंधी कार्यों का अधिमानता दी जाएगी;

या

केंद्रीय या राज्य सरकार या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठनों या पब्लिक सैक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों से हिंदी और अंग्रेजी में शिक्षण या हिंदी या अंग्रेजी में अनुसंधान में 3 वर्ष का अनुभव।

वांछनीय :

किसी मान्यताप्राप्त वोर्ड में 10वीं स्तर पर संविधान के आठवीं अनुसूची में सम्मिलित हिंदी भाषा से भिन्त किसी एक भाषा का अध्ययन किया हो। 6

टिप्पण: पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की मीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि (प्रतिनियुक्ति की अवधि महित) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

	(12)	(13)
निम्न 1. 2.	ह् 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें तिस्थित होंगे : संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य - अध्यक्ष संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य	प्रत्येक अवसर पर पद पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
	निदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि , महकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य	

[फा. मं. 13-1/2016-एम एंड टी (प्रशासन)(पार्ट—IV)] अश्वनी कुमार, मंयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2017

G.S.R. 1612(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institute (Group 'A' and Group 'B' Official Language posts) Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' and Group 'B' posts relating to Official Languages in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture. Cooperation and Farmers Welfare, in the Farm Machinery Training and Testing Institutes, namely:-

- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Farm Machinery Training and Testing Institute (Group 'A' and Group 'B' Official Language posts) Recruitment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application. These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these
 rules.



- 3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.— The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.
- 4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.— No person-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do. it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes. Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non- selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Junior Translator	2* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400)	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the	Master's degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or
instructions or order issued by the	Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory
Central Government from time to	or elective subject or as the medium of examination at the degree level;
time).	or
Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of	Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;
applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh,	Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;
Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State,	Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective

8

Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and

Nicobar Islands or Lakshadweep).

subject at degree level;

and

Recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or two year's experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government Office, including Government of India Undertakings.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing. in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation / absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government: (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, wh	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	
(12)	(13)	
Group 'B' Departmental Confirmation Common confirmation]:- (1) Director of the Institute concerned (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division). Department of		Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.
Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Institute (4) Head of the Division or Section	- Member;	, =

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant Director (Official	1* (2017).	General Central Service.	Level-10 in the pay matrix	Selection	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or order

Language).

variation

on

dependent

workload.

Group 'A',

Ministerial.

Gazetted .

Non-

(Rs.

56100-

167800)

Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	By promotion, failing which by deputation (including short term contract.

Promotion :

Junior Translator in level-6 (Rs. 35400-112400). in the pay matrix with eight years' regular service in the level.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short term contract):

Officers from the Central or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutions or Statutory and Autonomous bodies:

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with two years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii) with three years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-

(i) Masters' degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level:

Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level.

Three years' experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central or State Governments or Autonomous Bodies or Statutory organizations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research or educational institutions;

Three years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central or State Governments or Autonomous Body or Statutory organisations or Public Service Undertakings or Universities or recognised research or educational institutions.



Desirable:

Studied one of the languages other than Hindi included in the Eighth Schedule to the Constitution at 10th level from a recognised board.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall be not eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

	(12)	(13)
Group	Consultation with the Union Public	
(1)	Chairman or Member of the Union Public Service Commission : Chairman;	Service Commission
(2)	Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), : Member: Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	is necessary for appointment to the
(3)	Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology : Member. Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	post on each occasion.

[F. No. 13-1/2016-M&T (Admn.) (Pt IV)]
ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.01 08 20:29:46 +05'30'



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 3, 2018/पौष 13, 1939

No. 4]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 3, 2018/PAUSHA 13, 1939

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 5 (अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कृषि मंत्रालय, कृषि और महकारिता विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, प्रशासनिक अधिकारी और महायक पुस्तकालय एवं मूचना अधिकारी समूह 'ख' (राजपत्रित) गैर-तकनीकी पद भर्ती नियम, 2015, को उन वातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोग किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में प्रशासनिक अधिकारी और सहायक पुस्तकालय एवं मूचना अधिकारी पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, प्रशासनिक अधिकारी और सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी समूह 'ख' (राजपत्रित) गैर- तकनीकी पद भर्ती नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रदत्त होंगे।
- लागू होना: ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों में उपाबद्ध अनुमूची के स्तस्भ (2) से स्तस्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि: उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु मीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य वाने वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।



निरह्ताः वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

- 6. शिथिल करने की शक्तिः जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय मरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचिन जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदकानाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. प्रशासनिक अधिकारी	3* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा मकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, (अनुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 7 (44900-142400 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता

व्यक्तियों के लिए अपेक्षित	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहिताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		भर्ती की पद्धित; भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमे प्रोन्निति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक मेवा आयोग में परामर्श किया जाएना	
(11)	(12)	(13)	
प्रोन्नति:- ऐमें कार्यालय अधीक्षक और आशुलिपिक श्रेणी-। जिन्होंने बेनन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35400-112400/- रु.) में उस स्तर में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो और प्रशासन, स्थापना और लेखा कार्य के क्षेत्र में 2 मप्ताह का	1 1, 1311 1133 (1111)	मंघ लोक सेवा आयोग में परामर्थ करना आवश्यक नहीं है।	



प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण 1 - संबंधित थेणी अथवा पद में विहित अर्हता सेवा वाले अधिकारियों द्वारा पूरा किए जाने की तारीख के संबंध में प्रोन्तित हेतु पात्रता मूची तैयार की जाएगी।

टिप्पण 2 - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता मेवा पूरी कर ली है, प्रोन्तित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें में जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर थेणी में प्रोन्तित के लिए अपनी परिवक्षित की अविधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन ऐसे अधिकारी -

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर-6 (35400-112400/- रु.) या समतुल्य में उस स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस स्तर में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो;
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं, अर्थात –
- (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मंस्थान में डिग्री:
- (ii)केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या मंघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से लेखे, प्रशासन, स्थापना कार्य क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव।

टिप्पण - 1: पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्तित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त ब्यक्ति प्रोन्तित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण - 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

तकनीकी), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष

- 2. निदेशक या उप मचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी), कृषि, महकारिता और किसान कल्याण विभाग
- 3. अपर आयुक्त (मशीनीकरण एवं तकनीकी), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य
- 4. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान सदस्य



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. महायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	1* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 7 (44900-142400 रुपए)	चयन	30 वर्ष में अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी मेवकों के लिए 5
					वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण:- आयु मीमा अवधारित
					करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों में आवेदन प्राप्त
					करने के लिए नियल की गई अंतिय तारीख होगी। (व कि वह अंतिय
, E					तारीख जो असम मेचालय, अरूणाच प्रदेश, मिजोरम
					मणिपुर, नगालैं त्रिपुरा, सिक्किश जम्मू कश्मीर राज के लद्दाख खं
		¥		7.5.1	हिमाचल प्रदेश लाहौल और स्पी जिले तथा चम
					जिले के पां उपखंड, अंदम और निकोबार र्द्र या लक्षद्वीप
					अभ्यर्थियों के लि विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य - (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मंम्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और मूचना विज्ञान में वैचलर डिग्री; (ii) केंद्रीय मरकार या राज्य मरकार या कानूनी या स्वायल मंगठन या पब्लिक मैक्टर के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुमंधान या शैक्षणिक मंम्थान के अधीन पुस्तकालय से 2 वर्ष	आयु: नहीं शैक्षिक अईता: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में वैचलर डिग्री होना आवश्यक हैं।	मीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	प्रोन्तित द्वारा जिसके न हो सकते पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और दोनों स्थितियों में न होने पर मीधी भर्ती द्वारा



का वृतिक अनुभव।	 				
वांछनीय -					
(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री ;					
(ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा।					
टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा मुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग					
के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।		- 4		*	
टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं, उन कारणों को लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा	1				
आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों		- 1			
और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों					
की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन प्रक्रिया के समय संघ लोक सेवा				- 1	
आयोग की यह राय है कि आरक्षित					
रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित					
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थीयों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध			*		
होने की संभावना नहीं है।	300				

(11)	(12)	(13)
(iii) प्रोन्नित: ऐसे पुस्तकालय और सूचना सहायक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35400-112400/- रु.) में उस स्तर में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो और पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों महित, जिन्होंने ऐसी	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्निलिखित होंगे: 1. मंयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - मदस्य 3. अपर आयुक्त (मशीनीकरण एवं तकनीकी), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 4. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण मंस्थान - सदस्य	भर्ती करनी हो उस समय संघ लोक मेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अर्गली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि मफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है); केंद्रीय मरकार या राज्य मरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या विश्वविद्यालयों या मान्यना प्राप्त	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. मंयुक्त मचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी), कृषि, महकारिता और किमान कल्याण विभाग - अध्यक्ष 2. निदेशक या उप मचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी), कृषि, महकारिता और किमान	



अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सैक्टर के उपक्रमों	कल्याण विभाग - सदस्य	
या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अर्धीन ऐसे अधिकारी -	3. अपर आयुक्त (मशीनीकरण एवं तकनीकी),	
(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित	कृषि, महकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य	
आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या	4. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और	
(ii) जिन्होंने मूल काइर या विभाग में स्तर -6	परीक्षण संस्थान - सदस्य	
(35400-112400/- रु.) या समनुल्य के उस स्तर		
में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस	8 1 1	
स्तर में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो ;	(= , // = px	
और		
(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती	MC Car	
किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उल्लिखित		
शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।		
टिप्पण - 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय		
अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं,		
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए		
जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त		
व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए		31
जाने के पात्र नहीं होंगे।		
टिप्पण - 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके		
अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य		5 7
मंगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले		P. 1
धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर		W. 1
प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष		15 1 Mar . 8
से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति		The second secon
के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने		1.0
की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		All

[मिसिल सं. 13-1/2016-एम एंड टी (प्रशासन) (पार्ट-III)] अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2017

- G.S.R. 5 (E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institute, Administrative Officer and Assistant Library and Information Officer Group 'B' (Gazetted) Non-Technical Posts Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Administrative Officer and Assistant Library and Information Officer in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, in the Farm Machinery Training and Testing Institutes, namely:-
- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture. Cooperation and Farmers Welfare, Farm Machinery Training and Testing Institute, Administrative Officer and Assistant Library and Information Officer Group 'B' (Gazetted) Non-Technical Posts Recruitment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application. These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.



- , 3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.— The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.
- 4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- Disqualification. No person.
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non- selection post	Age- limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Administrative Officer	3* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400)	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made		Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	
(11)	(12)	(13)	
Promotion: Office Superintendent and Stenographer Grade I in Level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix with five years regular service in the level and successfully completed training of	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Joint Secretary - Chairman: (Mechanisation	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.	



two weeks in the field of administration. establishment and accounts.

Note 1: Eligibility list for Upper Division Clerk and Senior Hindi Typist for promotion shall be prepared with respect to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective level or post.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation:

Officers under the Central Government or State Government or Union territory Administration:

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years, service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department;

and

- (b) possessing the following educational qualifications and experiences, namely:-
 - (i) Degree of a recognised University or Institute;
 - (ii) Two years experience in accounts.
 administration, establishment work in
 Central Government or State
 Government or Union territory
 Administration.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall be not eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including the period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

and
Technology).
Department of
Agriculture.
Cooperation and
Farmers Welfare

Member:

- (2) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology), Department of Agriculture, Cooperation and
- Farmers Welfare

 (3) Additional Member;
 Commissioner
 (Mechanisation and Technology),
 Department of Agriculture,
 Cooperation and Farmers Welfare
- (4) Director. Farm Member.
 Machinery
 Training and
 Testing Institute

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



2. Assistant Library and Information Officer.	1* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400)	Selection	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
---	--	---	--	-----------	--

	(8)	(0)	T .
(7) Essential: (i) Bachelors degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or institute; (ii) Two years professional experience in a library under Central Government or State Government or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertaking or University or Recognised Research or Educational institution. Desirable: (i) Masters degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or institute; iii) Diploma in Computer	Age: No Educational qualification: But must possess Bachelor's degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or institute.	(9) Two years for direct recruits.	(10) By promotion failing which by deputation (including short term contract) failing both by direct recruitment.
institute;			



regarding experience are relaxable
at the discretion of the Union
Public Service Commission, for
reasons to be recorded in writing in
the case of candidates belonging to
the Scheduled Castes or the
Scheduled Tribes, if at any stage of
selection, the Union Public Scrvice
Commission, is of the opinion that
sufficient number of candidates
from these communities possessing
the requisite experience are not
likely to be available to fill up the
vacancies reserved for them.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Library and Information Assistant in Level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix with five years regular service in the level and successfully completed training of two to four	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Joint Secretary - Chairman; (Mechanisation and Technology).	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.
weeks in the field of Library and Information Science. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service	Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare (2) Director or - Member; Deputy Secretary (Mechanisation and Technology),	
by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is ess. and have successfully completed their probation period for promotion to the next	Department of Agriculture. Cooperation and Farmers Welfare (3) Additional - Member;	
higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short term contract): Officers under the Central Government or State Government or Union Territory Administration	Connuissioner (Mechanisation and Technology), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	*
or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organisations:	(4) Director, Farm - Member, Machinery Training and Testing Institute	
(a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department: or (ii) with five years' service in the level	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-	
rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b)possessing the educational qualifications and	Department of Agriculture, Cooperation and	
experience for direct recruits as mentioned in column (7). Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly,	(2) Director or Deputy - Member: Secretary (Mechanisation and Technology), Department of	



deputationist shall be not eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation including the period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall	Cooperation and Farmers Welfare (3) Additional - Member; Commissioner (Mechanisation and Technology), Department of
ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare (4) Director, Farm - Member, Machinery Training and Testing Institute

[F. No. 13-1/2016-M&T (Admn.) – Pt .III]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.01.09 22.31 45



REGD. NO. D. L.-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1048]

नई दिल्ली, रविवार, दिसम्बर 31, 2017/पौष 10, 1939

No. 1048]

NEW DELHI, SUNDAY, DECEMBER 31, 2017/PAUSHA 10, 1939

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 1611(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, समूह 'ख' (अराजपत्रित) गैर-तकनीकी, पद भर्ती नियम, 2015, को उन वातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, समूह 'ख' (अराजपत्रित) गैर तकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम वनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्म : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान समूह 'ख' (अराजपत्रित) गैर-तकनीकी पदों भर्ती नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. लागू होना : ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिप्ट पदों को लागू होंगे।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तस्भ (2) से स्तस्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

7501 GI/2017

- 4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य वातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ के स्तंभ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिप्ट है।
- निरर्हताः वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है , विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय हैं और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्तिः जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपवंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वावन, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई वात, ऐसे आरक्षणों, आयुमीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी-, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. कार्यालय अधीक्षक	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया	The William A. Committee of the Committe	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (35400-112400 रुपए)	. चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अईताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति; भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा (11)

प्रोन्नति -:

ऐसे लेखाकार जिन्होंने बेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200 92300/- रु.) में छह वर्ष नियमित सेवा की हो और जिसके न हो सकते पर ऐसे लेखाकार जिन्होंने बेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200 92300/- रु.) में लेखाकार के रूप में दस वर्ष नियमित सेवा की हो और उच्च श्रेणी



लिपिक जिन्होंने बेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100/- रु.) में छह वर्ष नियमित सेवा की हो और जिसके न हो सकते पर ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने बेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100/- रु.) में दस वर्ष नियमित सेवा की हो।

या

ऐसे ज्येष्ठ हिंदी टंकक जिन्होंने बेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100/- रु.) में उस स्तर में दस वर्ष नियमित सेवा की है और भारत सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में स्थापना या लेखे कार्य में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।

टिप्पण 1-उच्च श्रेणी लिपिक तथा ज्येष्ठ हिंदी टंकक के लिए पात्रता मूची संबंधित स्तर या पद में विहित अर्हक सेवा अधिकारियों द्वारा पूरा किए जाने की तारीख के संबंध में प्रोन्नति हेतु के लिए तैयार की जाएगी।

टिप्पण 2-जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर थेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
प्रतिनियुक्ति

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन ऐसे अधिकारी -

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या
 - (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर-5 (29200-92300/- रु.) या समतुल्य में उस स्तर में नियुक्ति के पश्चान नियमित आधार पर उस स्तर में छह वर्ष नियमित सेवा की है;
 - (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर-4 (25500-81100/- रु.) या समतुल्य में उस स्तर में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो ; और
- (ख) जिनके पाम निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं, अर्थात अनिवार्य :
 - (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विद्या में डिग्री :
 - (ii) प्रशासन और लेखा कार्य में एक वर्ष का अनुभव।

वांछनीय:

कंप्यूटर अनुप्रयोग, डाटा प्रोसेसिंग और नेट वर्किंग का एक वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 – पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 - प्रतितियुक्ति की अवधि, प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष मे अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु मीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हैं तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में मंघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्निति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्निलिखित होंगे : 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान -अध्यक्ष	संव लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
 अवर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग 	
 प्रशासनिक अधिकारी या फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान के कार्यालय के अध्यक्ष 	A



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. आशुलिपिक श्रेणी -।	5* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अनुमचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (35400-112400 रु.)	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्तित द्वारा जिसके न हो सकने प प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक मंबिद भी है;	
			1 L 1 L 2 L	(ii) प्रतिशत 50प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन द्वारा	

प्रतिनियुक्ति:

ऐसे आशुलिपिक थेणी -2 जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100/- रु.) में उस थेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलनापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन द्वारा ;

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सैक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या अर्ध सरकारी या स्वैच्छिक निकायों या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी जो आशुलिपिक के पद पर हैं -(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर मदृश पद धारण किए हुए हैं; या


- (ii) जिन्होंने **मूल काडर या विभाग** में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300/- रु.) या समतुल्य में उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की हो ;
- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100/- रु.) या समतुल्य में उस थेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो ;

टिप्पण 1 – पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोत्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 -प्रतिनियुक्ति की अवधि, प्रतिनियुक्ति की अवधि महित जिसके अंतर्गत केंद्रीय मरकार के उसी या किसी अन्य मंगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किमी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है माधारणतया तीन वर्ष मे अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं

टिप्पण – 4 केवल केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारी ही आमेलन के लिए पात्र होंगे।

	(13)
(12)	
्रा कि कि कि कि कि कि कि विकार होते ।	संघ लोक सवा आयोग स
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :	परामर्श करना आवश्यक नहीं
1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान -अध्यक्ष	ਹੈ।
1. निदेशक, फीम मशानरी प्राराज्य और गरीवाय र यहर	13



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. पुस्तकालय और सूचना सहायक	2* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अननुमचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (35400-112400 रुपण्)	

(6)	(7)	(8)
(0) 30 वर्ष से अनिधिक केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए) शों के अनुसार सरकारीअनुदेशों या आदे सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	अनिवार्य - (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान मे पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में वैचलर डिग्री; (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक मैक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त	(8) लागू नहीं होता
टिप्पण-: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक नारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियन की गई अंतिम नारीख होगी। न कि वह अंतिम नारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,	अनुसंधान संस्थान में दो वर्ष का व्यवसायिक अनुभव। वांछनीय – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए	
जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तव शिथिल की जा सकती हैं जब चयन प्रक्रिया के समय	

(9)	(10)		(11)	
मीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा; टिप्पण : प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इसमे अधिक के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय मरकार के निम्नलिखित अधिकारियों जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने बाले व्यक्तियों के लिए बिहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा। प्रतिनियुक्ति की अबधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अबधि है साधारणत्या तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को व 56र्ष से अधिक नहीं होगी।		नहीं	



(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान	आवश्यक नहीं है।
कल्याण विभागसदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी या फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान के कार्यालयसदस्य के अध्यक्षसदस्य	

[मिसिल सं 13-1/2016-एम एंड टी (प्रशासन)(पार्ट-॥)]

अश्वनी कुमार, संयुक्त मचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2017

G.S.R. 1611(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation. Farm Machinery Training and Testing Institute. Group 'B' (Non-Gazetted) Non-Technical Posts Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' (Non-Gazetted) Non-Technical posts in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, in the Farm Machinery Training and Testing Institutes, namely:-

- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Farm Machinery Training and Testing Institute. Group 'B' (Non-Gazetted) Non-Technical Posts Recruitment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application. These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.— The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.
- 4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 5. Disqualification.- No person-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes. Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.



SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Office Superintendent	8* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial,	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400- 112400)	Selection.	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	By promotion, failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion/ deputation /	absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be
	made.
	(11)

Promotion:

Accountant in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix with six years of regular service in the level failing which Accountant with ten years combined regular service as Accountant in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix and Upper Division Clerk in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix failing which Upper Division Clerk in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix with ten years regular service in the level;

Senior Hindi Typist in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix with ten years regular service in the level and have successfully completed two to four weeks' training in Establishment or Accounts in Central Government or State Government or Union Territory Administration.

Note 1: Eligibility list for Upper Division Clerk and Senior Hindi Typist for promotion shall be prepared with respect to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective level or post.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation:

Officers of Central Government or State Government or Union Territory Administration:

- (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
 - (ii) with six years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or
 - (iii) with ten years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in level-4 (25500-81100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department;

and

- (B) possessing the following educational qualifications and experience, namely: Essential:
 - (i) Degree in any discipline from a recognised University;
 (ii) One year experience in administration and accounts.

Desirable:

One year experience of Computer application. Data processing and Net Working



Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall be not eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily, not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	
(12)	(13)	
Group 'B' Departmental Promotion Committee [for considering promotion] consisting of:- (1) Director, Farm Machinery Testing and Training - Chairman; Institute	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.	
(2) Under Secretary (Mechanisation and Technology - Member; Division), Department of Agriculture. Cooperation and Farmers Welfare		
(3) Administrative Officer or Head of Office, Farm - Member. Machinery Testing and Training Institute		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer Grade I	5* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.		Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	 (i) 50% by promotion, failing which by deputation including short term contract; (ii) 50% by deputation (including short term contract) or absorption.

(11)

Promotion:

Stenographers Grade II in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix with ten years regular service in the level.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (Including short term contract) or Absorption:

Officers holding the post of Stenographer under the Central Government or State Governments or Union Territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutions or Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory organisations –

(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with six years service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii) with ten years service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department.



Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall be not eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily, not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3: Officers of only the Central Government or State Government or Union Territory Administration shall be eligible for absorption.

	(12)	(13)	
Group	'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	Consultation with Union Public Service	
(1)	Director. Farm Machinery Training and Testing - Chairman: Institute	Commission is not necessary.	
(2)	Under Secretary (Mechanisation and Technology - Member; Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	necessary.	
(3)	Administrative Officer or Head of Office, Farm - Member. Machinery Training and Testing Institute		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
 Library Information Assistant. 	2* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400- 112400)	Not

Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam. Meghalaya, Arunachal Pradesh. Mizoram, Manipur, Nagaland. Tripura. Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh. Andaman and Nicobar Islands or

Lakshadweep).

(6)

Essential:

 Bachelors Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or Institute;

(7)

(ii) Two years professional experience in a Library under Central Government or State Government or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertaking or University or Recognised Research or Educational Institution.

Desirable:

Diploma in Computer Application from a recognised University or Institute.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years for direct recruits.	Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7). (Period of deputation including the period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall	Not applicable.



10

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for
appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

(12)	(13)		
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-	Consultation with Union Public Service		
 Director. Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman: Under Secretary (Mechanisation and Technology - Member: Division). Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare Administrative Officer or Head of the Office, Farm - Member: Machinery Training and Testing Institute 	Commission is not necessary.		

[F. No. 13-1/2016-M&T (Admn.)-pt II] ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

> **RAKESH** SUKUL

REGD. NO. D. L.-33004/99

2177 India The Gazette of India

EXTRAORDINARY

II— — (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

PUBLISHED BY AUTHORITY

45]

No. 45]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 25, 2018/MAGHA 5, 1939

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 62(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कृपि मंत्रालय, कृपि एवं सहकारिता विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, गैर-तकनीकी समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2014, को उन वातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृपि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृपि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में समूह 'ग' गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम वनाते हैं, अर्थान्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, समूह 'ग' गैर- तकनीकी पदों भर्ती नियम, 2018 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. लागू होना: ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिप्ट पदों को लागू होंगे।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर : उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि: उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु मीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।



निरर्हताः वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्तिः जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किमी उपबंध को, किमी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई वात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय मरकार द्वारा इस मंबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. अवर श्रेणी लिपिक	19* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	माधारण केन्द्रीय मेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुमचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -2 (19,900-63,200 रुपए)	अचयन

or mo in the same flag
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(6)

आयु 18 से 27 वर्ष के वीच।

ंदिय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम नारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्वा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित होगी।



सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड में बारहवीं कक्षा पाम (ii) केवल कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति	हां, स्तंभ (10) में उपदर्शित विस्तार तक	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष
(प्रत्येक शब्दों के लिए 5 की डिप्रेशन की औसत पर 10500 की डिप्रेशन प्रति घंटा/9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट)	, H	

भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
आधार पर उस स्तर में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो, उनमें से 10 प्रतिशत। परीक्षा पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है (अनुसूचित जाति और	प्रोन्नति: ऐसे बहुकार्य कर्मचारीवृंद (गैर तकनीकी) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18,000-56,900/- रु.) में 3 वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास मैट्रिक का प्रमाण पत्र हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेव आयोग से परामर्श किय जाएगा	
(12)	(13)	
ममूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :	वत नागू नहीं होता।	

- ,
- 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान अध्यक्ष
- 2. अवर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, महकारिता और किमान कल्याण विभाग – सदस्य
- 3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय का प्रधान फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - सदस्य

समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :

- 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान अध्यक्ष
- 2. अवर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग – सदस्य
- 3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय का प्रधान फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. उच्च श्रेणी लिपिक	15* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 (25,500-81,100 रुपए)	अचयन

(6)

आयु 18 मे 27 वर्ष के वीच।

(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्वा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोवार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाती, वहां आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी)।

(7)	(8)	(9)	(10)
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा
वैचलर डिग्री		लिए दो वर्ष	(ii) 50 प्रतिशत मीधी भर्ती द्वारा

(11)

प्रोन्नति:-

वेतन मैट्रिक्स में स्तर -2 (1,900-63200/- ਨ.) में के ऐसे अवर श्रेणी लिपिक और हिंदी टाइपिस्ट जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की हो।



टिप्पण 1: मंबंधित श्रेणी अथवा पद में विहित अर्हता सेवा वाले अधिकारियों द्वारा पूरा किए जाने की तारीख के मंबंध में प्रोन्नति हेतु पात्रता सूची तैयार की जाएगी।

टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :	लागू नहीं
1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष	होता। होता।
2. अवर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग – सदस्य	
3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय का प्रधान फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - सदस्य	
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :	
1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष	
2. अवर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य	
- सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय का प्रधान फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - मदस्य	*

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. लेखाकार	2* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अनुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रूपए)	अचयन

(6)

आयु 18 से 27 वर्ष के वीच।

(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों मे आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (त कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्वा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2: आयु मीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाती, आयु मीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी)।



(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विद्या शाखा में वैचलर डिग्री, अधिमानत: वाणिज्य में वांछनीय : 1. जिन्होंने नकदी और लेखा, स्थापना और प्रशासनिक कार्य में 5 वर्ष का अनुभव लिया हो ; 2. जिन्हें कंप्यूटर अनुप्रयोग, डाटा प्रोसेसिंग और नेट वर्किंग का जान हो।	होता		प्रोन्नति, जिसके न हो सकते पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और दोनों हो सकते पर सीधी भर्ती द्वारा

(1.1)

प्रोन्नति :

उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100/- रु.) में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो। प्रतिनियक्ति या आमेलन :

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के ऐसे अधिकारी –

- (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500-81,100 रु.) या समतुल्य में उस स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस स्तर में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो।
- टिप्पण 1: पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
- टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
ममूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्तति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :	लागु नहीं होता
1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष	M = 1
2. अवर मचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, महकारिता और किमान कल्याण विभाग –	
मदस्य .	
3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय का प्रधान फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - सदस्य	
ममूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :	
1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष	
2. अवर मचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग -	
मदस्य	1
3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय का प्रधान फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - सदस्य	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5))
4. आशुलिपिक श्रेणी -2	5* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	माधारण केन्द्रीय मेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुमचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (25,500-81,100 रुपए)	लागू होता	नहीं

(6)

आयु 18 से 27 वर्ष के बीच।

(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्वा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए बिहित की गई है।)

टिप्पण 2: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i) मान्यता प्राप्त वोर्ड से वारहवीं कक्षा पास (ii) कौशल परीक्षण सन्नियम : श्रुतलेख : 80 श.प्र.मि. की दर पर 10 मिनट अनुलिपिकरण : 50 मिनट (अंग्रेजी)/ 65 मिनट (हिंदी) (केवल कम्प्यूटर पर)	लागू नर्ह होता	दो वर्प	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से मीधी भर्ती द्वारा टिप्पण: किसी पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय तक प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश लेने या अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत अवकाश लेने पर रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वैच्छिक या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पिट्लक सैक्टर के उपक्रम या अर्ध सरकारी संगठनों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान मंस्थानों के अधिकारियों मे प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकेगा, जो स्तंभ (7) में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखते हों।	

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष	लागू नहीं होता।
2. अवर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग – सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय का प्रधान फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - सदस्य	5



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. कंपाउंडर	3* (2018)	माधारण केन्द्रीय सेवा,	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4	लागू नहीं होता
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुमचिवीय	(25,500-81,100 रुपए)	ē[d]

(6)

आयु 18 से 27 वर्ष के वीच।

(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण 1: आयु मीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्वा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाती, आयु मीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी)।

(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	
अनिवार्य: (i) मान्यता प्राप्त वोर्ड से वारहवीं कक्षा पास (ii) मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से फार्मेसी में डिप्लोमा वांछनीय: सुसंगत क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव	होना	2 वर्ष	(vi) सीधी भर्ती द्वारा टिप्पणः किसी पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय तक प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश लेने या अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत अवकाश लेने पर रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकेगा, जो स्तंभ (7) में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हों।	लागू होता।	नहीं	

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि ममिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें	लागु नहीं होता।
निम्नलिखित होंगे :	
1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष	
2. अवर मचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, महकारिता और किमान	
कल्याण विभाग – सदस्य	
3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय का प्रधान फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और	
परीक्षण संस्थान - सदस्य	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. ज्येष्ठ हिंदी	1* (2018)	साधारण केन्द्रीय सेवा,	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4	अचयन
टंकक	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन	समूह 'ग', अराजपत्रित,	(25,500-81100 रुपए)	
	किया जा सकता है।	अनुसचिवीय		

(6)

आयु 18 मे 27 वर्ष के बीच।

(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित होगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाती, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी)।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा का माध्यम डिग्री स्तर का हो, के रूप में किसी भी विषय में बैचलर डिग्री।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हां	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति
(ii) हिंदी में न्यूनतम टंकक गति 30 शब्द प्रति मिनट (केवल कम्प्यूटर पर) वांछनीय :		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा
(i) हिंदी बोलने में धाराप्रवाहिता;	24		
(ii) जिन्हें कंप्यूटर अनुप्रयोग, डाटा प्रोसेसिंग और नेट वर्किंग का ज्ञान हो।			06

(11)

प्रोन्निते :

वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 2 (19,900-63200/- रु.) में के ऐसे हिंदी टंकक और अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस स्तर में 8 वर्ष नियमित सेवा की हो और स्तंभ (7) यथा उल्लिखित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों।

टिप्पण 1 : संबंधित स्तर अथवा पद में विहित अर्हत सेवा वाले अधिकारियों द्वारा पूरा किए जाने की तारीख के संबंध में प्रोन्नति हेतु पात्रता सूची तैयार की जाएगी।



टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सिह्त, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति:

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सैक्टर के उपक्रम या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या परिषदों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी :

- (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -2 (19,900- 63,200/-रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो।

टिप्पण 1: पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की मीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष	लागू नहीं होता।
 अवर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग); कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग – सदस्य प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय का प्रधान फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण मंस्थान सदस्य समृह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 	
1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	
- तदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी या फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान के कार्यालय के अध्यक्ष - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. हिंदी टंकक	1* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, ममूह 'ग', अराजपत्रित, अनुमचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19,900-63,200 रुपए)	लाग् नर्ह होता



(6)

आयु 18 मे 27 वर्ष के बीच।

(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्वा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोवार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाती, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी)।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास। (ii) हिंदी में न्यूनतम टंकक गति 30 शब्द प्रति मिनट (केवल कम्प्यूटर पर)	<u></u> ēi	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	भर्ती द्वारा	प्रोन्नति:- ऐसे बहुकार्य कर्मचारीवृंद (गैर- तकनीकी) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -1(18000-56900/- रु.) में मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र धारत करते हुए 3 वर्ष नियमित सेवा की हो।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:	लागू नहीं होता।
1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष	
2. अवर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग – सदस्य	
3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय का प्रधान फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान	
- मदस्य	
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :	
1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष	
2. अवर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग – सदस्य	
3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय का प्रधान फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
 बहुकार्य कर्मचारीवृंद स्टाफ (गैर-तकनीकी) 	84* (2018) *कार्यभार के आधार पर	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रिन,	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रूपए)	लागू नहीं होता



-C		
परिवर्तन किया जा सकता	(अननसचिवीय) ।	
	13	
 	1	

(6)

आय 18 से 25 वर्ष के वीच।

(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्वा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाती, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी)।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन पास	लागू नहीं होता.	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण: किसी पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय तक प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश लेने या अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत अवकाश लेने पर रिक्तियों को केन्द्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकेगा, जो स्तंभ (7) में वर्णित सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखते हों।	i i


(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि संमिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :	लागू नहीं होता।
1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष	300 50 50
2. अवर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	
– सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय का प्रधान फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - सदस्य	

[फा. सं. 13-1/2016-एम एंड टी (प्रशासन)(पार्ट-I)] अश्वनी कुमार, संयुक्त मचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare) NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January. 2018

G.S.R. 62(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institute, Non-Technical, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2014, except as respects things done or omitted to



- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Farm Machinery Training and Testing Institute, Non-Technical, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application. These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.— The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.
- 4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 5. Disqualification.- No person-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post Number of post		Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Lower Division Clerk	19* (2018) *Subject to variation dependent on workload.		Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200)	Non-selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Between 18-27 years of age. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.)	(i) 12th Class pass from a recognised Board; (ii) a typing speed of 35 words per minute in	Yes, to the extent indicated in column (10).



Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

English or 30 words per minute in Hindi, only on Computers.

(35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH / 9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word).

Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods			
(9)	(10)			
Two years' for direct recruits.	 (i) 85% by direct recruitment through Staff Selection Commission; (ii) 10% from amongst the Group 'C' staff in level-1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix and who possess 12th Class pass certificate and have rendered three years' regular service in the level, on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age-limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes); Note: If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at later examination. (iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' employees who have rendered three years' regular service in posts in level-1(Rs. 18000-56900) in the pay matrix. 			

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Multi-Tasking Staff (Non-Technical) with three years' regular service in level-1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix and possessing matriculation certificate.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Director, Farm Machinery Training - Chairman; and Testing Institute (2) Under Secretary (Mechanisation - Member; and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare (3) Administrative Officer or Head of - Member. Office of Farm Machinery Training and Testing Institute	Not applicable
	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Director, Farm Machinery Training - Chairman; and Testing Institute (2) Under Secretary (Mechanisation - Member; and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare (3) Administrative Officer or Head of - Member. Office of Farm Machinery Training and Testing Institute	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Upper Division Clerk	100000000000000000000000000000000000000	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500- 81100)	

(6

Between 18-27 years of age (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.)

Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).

(7)		(8)		(9)		(10)
Bachelor's Degree recognised University	a	Not applicable	100000000000000000000000000000000000000	years recruits.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	50% by promotion; 50% by direct recruitment.

Promotion:

Lower Division Clerk and Hindi Typist in level-2 (19900-63200) in the pay matrix with eight years' regular service in the level.

(11)

Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective level or post.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service

	(12)	(13)
Grou	up 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting	Not applicable
(1)	Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman;	
(2)	Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), - Member;	
	Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	
(3)	Administrative Officer or Head of the Office of the Farm - Member. Machinery Training and Testing Institute	100
	p 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation)	
(1)	Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman:	
(2)	Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), - Member;	
,	Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	
(3)	Administrative Officer or Head of the Office of the Farm - Member. Machinery Training and Testing Institute	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Accountant	2* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.		

-SEC. 3(i)



(6)

Between 18-27 years of age. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.)

Note 1: The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications.)

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: Bachelor's Degree in any discipline from a recognised University, preferably with Commerce. Desirable: 1. Five years' of experience in handling cash and accounts, establishment and administration works; 2. Knowledge of computer application, data processing and net working.	Not applicable	Two years for direct recruits.	Promotion, failing which by deputation or absorption and failing both by direct recruitment.

(11)

Promotion:

Upper Division Clerk having five years' regular service in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix.

Deputation or absorption:

Officers of the Central Government or State Governments or Union territory administrations:

(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years' regular service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

	(12)	(13)
Group	'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-	Not applicable
(1)	Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman;	1.50
(2)	Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), - Member;	
	Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	T (2)
(3)	Administrative Officer or Head of the Office of the Farm - Member.	
	Machinery Training and Testing Institute	
Group	'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-	
(1)	Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman;	
(2)	Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), - Member;	
	Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	
(3)	Administrative Officer or Head of the Office of the Farm - Member.	
- 1	Machinery Training and Testing Institute	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Stenographer Grade II	5* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.		Not applicable



(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Between 18-27 years of age. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(i) 12 th class pass from a recognised Board;	Not applicable	Two years	By direct recruitment through Staff Selection Commission. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government or State Government or Union territory administrations or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or semigovernment organisations or universities or recognised research institutes, possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).

(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-	Not applicable
	(1) Director, Farm Machinery Training and Testing - Chairman; Institute	
	(2) Under Secretary (Mechanisation and Technology - Member; Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	
	(3) Administrative Officer or Head of the Office of the - Member. Farm Machinery Training and Testing Institute	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Compounder		General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non- Ministerial.	pay matrix	Not applicable

(6)	(7)
Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or	(i) 12 th Class pass from a recognised Board; (ii) Diploma in Pharmacy from a recognised



Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).

(8)	(9)	. (10)	(11)
Not applicable	Two years	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), - Member; Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm - Member. Machinery Training and Testing Institute	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Senior Hindi	1* (2018) * Subject to variation	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted,		F-1407-5-100
Typist	dependent on workload.	Ministerial.	81100)	

(6)

Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.)

Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).

(8)	(9)	(10)
Age : No.	Two years'	By promotion,
Educational Qualification: Yes.	recruits.	failing which by deputation and failing both by direct recruitment.
	1	
	Age : No. Educational	Age: No. Two years' for direct. Educational recruits.

Promotion:

Hindi Typist and Lower Division Clerk in level-2 (Rs. 19900-63200) in the pay matrix with eight years' regular service in the level and possessing educational qualification as mentioned in column (7).

Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with respect to the date of completion by the bfficers of the prescribed qualifying service in the respective level or post.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such

qualifying or eligibility service.

Deputation:

Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or Public Sector Undertakings or Agricultural Universities or Recognised Research Institutions or Councils or Semi-Government or Autonomous or Statutory Organisations:

(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with eight years' regular service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in level-2 (Rs. 19900-63200) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.


Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

1000	(12)	(13)
(1)	p 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman;	Not applicable
(2)	Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), - Member; Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare Administrative Officer or Head of Office of Farm Machinery - Member. Training and Testing Institute	
consi	up 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation)	
(1)	Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), - Member; Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	
(3)	Administrative Officer or Head of Office of Farm Machinery - Member. Training and Testing Institute	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. Hindi Typist	1* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900- 63200)	Not applicable

(6)	(7)
Between 18 and 27 years of age (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladaki Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).	Essential: (i) 12 th Class pass from a recognised Board; (ii) minimum typing speed 30 words per minute in Hindi (only on Computer).

.0.			
(8)	(9)	(10)	(11)
			1/



certificate.

(12)	1,0000	(13)
 Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering (1)) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare (3) Administrative Officer or Head of Office of Farm Machinery Training and Testing Institute Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering (1)) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute 	- Chairman; - Member; - Member. confirmation) consisting of:-	Not applicable
 (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division). Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare (3) Administrative Officer or Head of Office of Farm Machinery. Training and Testing Institute 		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8. Multi-Tasking Staff (Non- Technical)	84 * (2018) * Subject to variation dependent on workload.		Level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900)	

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Between 18 and 25 years of age (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission, (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).	Matriculation pass from a recognised Board	Not applicable	Two years	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).

Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering Not appropriation) consisting of:-	licable
	(1) Director, Farm Machinery Training and Testing - Chairman; Institute	
	(2) Under Secretary (Mechanisation and - Member; Technology Division), Department of	
	Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare (3) Administrative officer or Head of the office of - Member. Farm Machinery Training and Testing Institute	

[F. No. 13-1/2016-M&T (Admn.) (Pt. I)] ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.